

**To be published in Part-I Section-I of the Gazette of India Extraordinary**

**F. No. 06/18/2023 - DGTR  
Government of India  
Ministry of Commerce & Industry  
Department of Commerce  
Directorate General of Trade Remedies  
4<sup>th</sup> Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001**

Dated: 06<sup>th</sup> August, 2024

**NOTIFICATION  
FINAL FINDINGS**

**CASE NO. AD-OI-17/2023**

**Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Cellophane Transparent Film” originating in or exported from China PR.**

**TABLE OF CONTENTS**

<b><u>NOTIFICATION</u></b> .....	<b><u>1</u></b>
<b><u>FINAL FINDINGS</u></b> .....	<b><u>1</u></b>
<b>CASE NO. AD-OI-17/2023</b> .....	<b>1</b>
<b><u>BACKGROUND OF THE CASE</u></b> .....	<b><u>3</u></b>
<b><u>PROCEDURE</u></b> .....	<b><u>4</u></b>
<b><u>PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE</u></b> .....	<b><u>6</u></b>
<b>C.1 Submissions by the other interested parties</b> .....	<b>7</b>
<b>C.2 Submissions by the domestic industry</b> .....	<b>7</b>
<b>C.3 Examination by the Authority</b> .....	<b>8</b>
<b><u>SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY &amp; STANDING</u></b> .....	<b><u>9</u></b>
<b>D.1 Submissions by the other interested parties</b> .....	<b>9</b>
<b>D.2 Submissions by the domestic industry</b> .....	<b>9</b>
<b>D. 3 Examination by the Authority</b> .....	<b>10</b>
<b><u>CONFIDENTIALITY</u></b> .....	<b><u>10</u></b>
<b>E.1 Submissions by the other interested parties</b> .....	<b>10</b>
<b>E.2 Submissions by the domestic industry</b> .....	<b>11</b>
<b>E.3 Examination by the Authority</b> .....	<b>11</b>
<b><u>ASSESSMENT OF DUMPING AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE, DUMPING MARGIN, NON-INJURIOUS PRICE AND INJURY MARGIN</u></b> .....	<b><u>12</u></b>

F.1 Submissions by the other interested parties .....	13
F.2 Submissions by the domestic industry .....	13
F.3 Examination by the Authority .....	14
F.3.1 Normal value.....	15
F.3.2 Export Price.....	17
F.3.3 Determination of Dumping margin .....	18
<b><u>G. ASSESSMENT OF INJURY AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK.....</u></b>	<b>18</b>
G.1 Submissions by other interested parties .....	18
G.2 Submissions by the domestic industry .....	21
G.3 Examination by the Authority.....	25
G.3.1 Assessment of Demand/ Apparent Consumption .....	26
G.3.2 Volume effect of dumped imports on domestic industry .....	27
G.3.3. Price effect of dumped imports on domestic industry .....	28
<b><u>NON-ATTRIBUTION ANALYSIS (OTHER FACTORS) .....</u></b>	<b>33</b>
<b><u>FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK .....</u></b>	<b>35</b>
<b><u>I. INDIAN INDUSTRY’S INTEREST &amp; OTHER ISSUES .....</u></b>	<b>36</b>
I.1 Submissions by other interested parties .....	36
I.2 Submissions by the domestic industry .....	37
I.3 Examination by the Authority .....	38
<b><u>J. POST DISCLOSURE COMMENTS:.....</u></b>	<b>39</b>
J.1 Submission of Other Interested Parties:.....	39
J.2 Submission of Domestic Industry: .....	40
J.3 Examination by Authority: .....	41
<b><u>K. CONCLUSION .....</u></b>	<b>41</b>
<b><u>L. RECOMMENDATIONS .....</u></b>	<b>43</b>
<b><u>FURTHER PROCEDURE.....</u></b>	<b>44</b>

## **BACKGROUND OF THE CASE**

1. M/s Kesoram Rayon, a unit of Cygnet Industries Ltd. (hereinafter referred to as the "applicant" or the "petitioner") filed an application, in the form and manner prescribed before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules, for initiation of an anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of "**Cellophane Transparent Film**" (hereinafter also referred to as the "CTF" or "subject goods" or the "product under consideration") originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the "subject country").
2. The Authority had earlier conducted an anti-dumping investigation concerning imports of "Cellophane Transparent Film" originating in or exported from China PR which was initiated vide Notification no. 14/7/2005-DGAD dated 27<sup>th</sup> September, 2005. The Authority had recommended provisional anti-dumping duty on the imports vide Notification No. 14/7/2005-DGAD dated 3<sup>rd</sup> February, 2006. These provisional anti-dumping duties were imposed by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 31/2006-Customs (ADD), dated 3<sup>rd</sup> March, 2006. Subsequently, the Authority recommended imposition of definitive duty vide Notification no. 14/7/2005-DGAD, dated 28<sup>th</sup> July 2006. The Ministry of Finance thereafter imposed duties vide Customs Notification No. 94/2006-Customs (ADD), dated 7<sup>th</sup> September, 2006. The Authority in the previously conducted original investigation and its first sunset review investigation examined the existence of dumping, injury, causal link thereof and its effect on the domestic industry with respect to imports of subject goods from China PR. Following elaborate investigations, the Authority concluded a positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry and recommended that there was a need for imposition of definitive anti-dumping duties.
3. The Authority later conducted the first sunset review investigation which was initiated vide Notification no. 15/15/2010-DGAD dated 1<sup>st</sup> December, 2010. The Authority notified the final findings recommending continuation of duty vide Notification no. 15/15/2010-DGAD dated 30<sup>th</sup> November., 2011. The Ministry of Finance continued duties vide Customs Notification No. 05/2012-Customs (ADD), dated 13<sup>th</sup> January, 2012. The Authority later initiated the second sunset review investigation vide Notification no. 15/18/2016-DGAD dated 12<sup>th</sup> January 2017. However, the investigation was terminated on 9<sup>th</sup> November., 2017. This investigation was terminated considering that there were no imports as per DGCI&S data during the injury period and the POI.
4. The applicant again approached the Authority, after over 5 years since expiry of anti-dumping duty, submitting that post expiry, the subject imports have again started to enter the Indian market at dumped prices in huge volumes and resultantly affected the performance of the applicant industry. The Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 06/18/2023- DGTR dated 30<sup>th</sup> September, 2023 published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 5 to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping

and to recommend the amount of anti-dumping duty which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

### **PROCEDURE**

5. The procedure described below has been followed with regards to the investigation:
- i) The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.
  - ii) The Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicant, *vide* notification no.6/18/2023-DGTR dated 30<sup>th</sup> September 2023 published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duties, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.
  - iii) The Authority forwarded a copy of the public notice along with the questionnaires to the embassy of the subject county in India, all known exporters, importers and users (whose details were made available by the applicant) and gave them the opportunity to make their views known in writing in accordance with Rule 6(2) of the anti-dumping rules. They were advised to reply within thirty days from the date of receipt of notice.
  - iv) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters and the embassy of the subject country in accordance with Rule 6(3) of the anti-dumping Rules. A copy of the application was also provided to the other interested parties, as requested.
  - v) The Authority sent questionnaire to elicit relevant information to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD rules:

SN	Producer/ Exporter
1.	Hubei Chemical Fibre Hubei Xinyang Special Fiber Co. Ltd.
2.	MS Shaoxing Kede New Material Co.
3.	Shandong Henglian New Material
4.	Sinoright International Trade
5.	Star Chemicals Far East Co. Ltd.
6.	Weifang-Henglian Cellophane Co. Ltd.
7.	Yongkang Trunm Imp Exp Co. Ltd.
8.	Yuyao Paper Mill
9.	Zhejiang Yao Paper Group
10.	Zhejiang Yuantal Special Film Co. Ltd.

- vi) Following producers/exporters from the subject country have filed the exporter's questionnaire response or made any submissions:

<b>SN</b>	<b>Responding Producer/ Exporter</b>
1.	Shandong Henglian New Materials Co. Ltd.
2.	Shandong ICCAS-Henglian Biobased Materials Co. Ltd.
3.	Shaoxing Kede New Material Co. Ltd.

- vii) Questionnaires were also sent to the following known importers/users of the subject goods in India seeking necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

<b>SN</b>	<b>Importer/ User</b>
1.	Avivah India
2.	Bright start agency
3.	Ecartes Technology Pvt. Ltd.
4.	Hari Agencies
5.	Jawarimal Dalamchand
6.	Mangilal & Co.
7.	Navstar Impex
8.	Quality Paper Mart
9.	Shivananda Marketing Pvt. Ltd.
10.	SMB Marketing Pvt. Ltd.
11.	Standard Fireworks (P) Ltd.
12.	Suriya Impex

- viii) Salvonic, registered itself as an interested party in the present investigation, as a consumer of the subject goods. However, it has not filed any response to the importer's/ user's questionnaire response, or any submission.
- ix) Further, The Indian Fireworks Manufacturers Association (TIFMA) filed its representation before the Authority subsequent to the oral hearing held on 24<sup>th</sup> January 2024. TIFMA, however, did not register itself as an interested party in the present investigation or filed a response to the prescribed questionnaires. Contentions of the Association have been appropriately addressed wherever necessary.
- x) The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months) (hereinafter referred to as the "period of investigation" or "POI"). The injury analysis period included the period of investigation and the preceding years, 2019-20, 2020-21, 2021- 2022.
- xi) The Authority vide para 7 of the initiation notification dated 30<sup>th</sup> September, 2023 granted an opportunity to the interested parties to present their comments on the scope of the product under consideration and product control number (PCN) within 15 days of initiation which ended on 15<sup>th</sup> October, 2023. None of the interested parties made any submissions with regard to the scope of the product under consideration or for the construction of PCN within the stipulated time period. Accordingly, the Authority vide notification published

on 8<sup>th</sup> November., 2023 proceeded to confirm the scope of the PUC and not construct PCNs, as proposed in the initiation notification.

- xii) The Authority issued an economic interest questionnaire (EIQ) to all interested parties and the concerned ministry. Response to EIQ has only been submitted by the domestic industry.
- xiii) The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xiv) Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary.
- xv) Verification of the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- xvi) A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties along with the investigation team.
- xvii) The non-injurious price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and the cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry, maintained as per Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), has been worked out so as to ascertain whether the present anti-dumping duty is sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xviii) In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views during the oral hearing held on 24<sup>th</sup> January 2024. The interested parties were requested to submit their written submissions by 31<sup>st</sup> January 2024 and rejoinder submissions by 7<sup>th</sup> February 2024 at the latest.
- xix) Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its observation on the basis of the facts available.
- xx) In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts were disclosed by the Authority on 23<sup>rd</sup> July 2024 to the concerned interested parties. Comments were requested by 29<sup>th</sup> July 2024. Comments received on the disclosure statement to the extent considered relevant by the Authority have been considered in this final finding.
- xxi) \*\*\* in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxii) Exchange rate considered for the POI for conversion of USD to Indian Rupees is 1 USD = **Rs. 81.06**.

### **PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

6. The product under consideration (hereinafter also referred to as the "PUC") as defined at the stage of initiation was as follows:

*“3. The product under consideration in the present investigation is “Cellophane Transparent Film” (CTF) (hereinafter also referred to as the “Product under Consideration” or the “subject goods”). The product is also globally known by other names like “Cellophane Transparent Paper”, “Cellophane Paper”, “Transparent Paper”, “Transparent Film”, “TP Film”, “CTP Film”, etc.””*

7. No comments on the scope of the PUC and PCN were received from the interested parties and accordingly, accordingly, it was clarified through the scope of the PUC and PCN Methodology Notification (hereinafter referred to as the “Scope Notification”) dated 8<sup>th</sup> November, 2023, that the scope of the PUC as defined in the initiation notification was confirmed.

### **C.1 Submissions by the other interested parties**

8. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of the product under consideration and like article:
- i) The applicant has an agreement with Futamura for selling certain product types not manufactured by the applicant. The Authority is requested to exclude such products from the scope of the PUC.
  - ii) It is also submitted that the applicant does not produce coated CTF and CTF in reel form. Therefore, both coated CTF and reels should be outside the scope of the PUC.
  - iii) That the reels produced by the applicant are not up to the standards used for automation work. Reels used in automation should also be excluded.

### **C.2 Submissions by the domestic industry**

9. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of the product under consideration and like article:
- i) There are different forms of CTF having different GSM. However, consumers use the products interchangeably, regardless of the GSM.
  - ii) The product under consideration is used by a large number of small-scale consumers in the country. The PUC is an ideal packing material. It is used in packing and wrapping of fireworks, sweets, fruits and food items, candies, confectionaries, gifts, soaps, incense sticks, silverware, etc. In the past, the demand of the PUC had declined. However, in the recent few years, new applications of the product have cropped up.
  - iii) The applicant has an agreement with Futamura whereby it plans to represent their specialised product & to assess the market for such products. These are product types exclusive to Futamura. Neither the applicant nor the Chinese producers have the proprietary rights to manufacture these products.
  - iv) As far as coated CTF is concerned, there is no demand for the same in the Indian market at present. It is neither being produced by the applicant nor being imported. In any case, the applicant has the facility to produce coated CTF as well, which was being produced

and supplied to the cigarette industry till late 1990's. Thereafter, there is no known demand for coated CTF.

- v) The applicant produces CTF reel form which is then cut into sheets as per the requirement of the customers. If any customer requires CTF in reel form, the domestic industry shall provide the same. As for reels suitable for automation work, the product is still majorly being used in the firecracker industry which is prohibited to use automation in view of fire hazard.
- vi) That the subject goods produced by the Indian industry and imported from China PR are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. These two are technically and commercially substitutable. The product produced by the domestic industry is a like article to the product under consideration.
- vii) Further, considering the history of the past investigation it would be seen that the Authority has consistently determined the same scope of product under consideration and like article, as the present investigation. Therefore, this issue does not require further deliberation and examination.
- viii) Analysis of import data shows that the product under consideration has been imported using several descriptions. The PUC is being imported under customs sub-headings 39207111 and 48239090 of the Customs Tariff Act, 1975. The Authority in its findings issued vide Notification No. 14/7/2005-DGAD had also noted that a large number of imports do not contain the classification meant for the PUC and have been imported under different customs classifications than what is applicable.

### **C.3 Examination by the Authority**

10. It is noted that the product under consideration in the present investigation is 'Cellophane transparent film' (CTF). The product is also globally known by other names like "Cellophane Transparent Paper", "Cellophane Paper", "Transparent Paper", "Transparent Film", "TP Film", "CTP Film" etc.
11. CTF is a re-generated cellulose film of glass clear transparency and sparkle. It is flexible yet tough. It shows outstanding machinability as well as dimensional stability. It is made of wood pulp. It is non-toxic, biodegradable and burns like any other paper leaving black ash. CTF can be coloured or white. It is available in sheet and roll forms. It is a packaging material and is majorly used in packing and wrapping of fireworks as it resists moisture hence avoiding misfire of crackers and is not a fire hazard due to its non-static properties and being sealable using simple adhesive. In addition to this, it is also used to pack and wrap sweets, fruits and food items, candies, confectionaries, gifts, soaps, incense sticks, silverware, etc. Further, with the ban imposed on single use plastic and rising awareness about eco-friendly products, new applications of the product have come up recently.

12. There are different forms of CTF having different GSM. The applicant has claimed that the consumers use the products interchangeably as there is no significant price difference in different grades and GSM of the PUC. Further the domestic industry has claimed that they produce the PUC in both reel and sheet forms and they have the facility for the production of coated cellophane which is idle. The same facility can be used for the production of coated CTF if there is a demand. Since there is no significant difference in the PUC of different GSMs or grades or quality, all types of CTF are within the scope of the PUC. Further it is observed that coated cellophane though imported but in very less quantity. The sales agreement entered between the petitioner and Futamura was shared with the Authority but without the list of products under the scope of agreement. Since, none of the interested parties refuted the claim made by the petitioner that there is no significant difference in the PUC of different GSMs or grades or quality or any types of CTF, so all types of cellophane are under the scope of the PUC.
13. The product under consideration in the present investigation is ‘Cellophane transparent film’ (CTF). The product is also globally known by other names like “Cellophane Transparent Paper”, “Cellophane Paper”, “Transparent Paper”, “Transparent Film”, “TP Film”, “CTP Film” etc. was identified based on the description of the product imported under customs sub-headings 39207111 and 48239090 of the Customs Tariff Act, 1975.
14. The Authority notes that the like article produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject country is comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are like articles in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. The Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules.

### **SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

#### **D.1 Submissions by the other interested parties**

15. No submission has been made by other interested parties with regard to the domestic industry and its standing.

#### **D.2 Submissions by the domestic industry**

16. The applicant has made the following submissions with regard to the domestic industry and its standing:
- i) The application has been filed by M/s. Kesoram Rayon, a unit of Cygnet Industries Ltd.

- ii) There is no other producer in India, besides the applicant. In fact, the applicant is the only producer of the like article, not only in India but also in the whole of Southeast Asia.
- iii) The applicant has neither imported the subject goods from the subject country nor related to any importer in India or producer/exporter from the subject country.
- iv) The applicant is the sole producer of the like article in India, and therefore constitutes a 'major proportion' of the total Indian production and satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

### **D. 3 Examination by the Authority**

17. Rule 2(b) of the AD Rules defines the domestic industry as under:

*"(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry ' must be construed as referring to the rest of the producers"*

18. The present application has been filed by M/s Kesoram Rayon, a unit of Cygnet Industries Ltd. The applicant has not imported the subject goods and are neither related to an importer or exporter thereof. The applicant company is an eligible domestic industry within the meaning of the Rule 2(b).

19. The applicant accounts for 100 % of the Indian production. It is seen that the applicant accounts for a major proportion in Indian production.

20. The Authority thus proposes that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules. Further, the applicant, Kesoram Rayon is proposed to constitute the domestic industry within the meaning of the Rules.

## **CONFIDENTIALITY**

### **E.1 Submissions by the other interested parties**

21. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality:

- i) That the domestic industry did not disclose its agreement with Futamura where it is acting as an agent for Futamura. It is attempting to block material from all other sources.
- ii) That the domestic industry has not disclosed its memorandum of understanding with Futamura to explore a possible joint venture in India. Futamura is eyeing a 24% stake in

the company. The domestic industry has also not disclosed its Technical Assistance agreement.

- iii) That the applicant industry should provide a proper non-confidential version of their information in accordance with applicable trade notices.

## **E.2 Submissions by the domestic industry**

22. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:

- i) The domestic industry submitted that the agreements referred to by the respondent are confidential and not relevant to the proceedings of the present investigation.
- ii) The technical assistance agreement was referred to in the applicant's earlier letters but not discussed in detail due to confidentiality reasons. Further, the agreement with Futamura is to represent their exclusive products and to develop them for the Indian market. If there is demand for a sustainable volume of such products, the applicant shall proceed with an investment in the future.
- iii) The applicant is not trying to block material from any source. Imports may keep entering the Indian market from any source but at a fair price so that there is a level playing field.
- iv) The MoU with Futamura to explore a possible joint venture is at the level of discussion alone. No definitive agreement has been reached between the parties.

## **E.3 Examination by the Authority**

23. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7).

24. With regard to confidentiality of the information submitted by the interested parties, Rule 7 of the AD Rules provides as follows:

*"7. Confidential Information:*

*(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

25. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regards to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient nonconfidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.
26. The Authority has in various paras of the notice of initiation extensively stated time limits to the interested parties to provide relevant information. At Para 27 of the notice of initiation the Authority, with regard to limit, stated that *“If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules”*. Further, at Para 33 of the notice, the Authority prescribed a time limit of 7 days from receipt of the non-confidential version of the documents for the interested parties to offer their comments on the confidentiality claimed.
27. It is noted that the respondents did not make their comments on confidentiality within the prescribed period. Further, they failed to substantiate how the non-confidential version of the applicant’s submissions were not in accordance with the Authority’s Trade Notice on confidentiality.
28. In any case, the Authority examined the agreements, identified by the other interested parties, during the verification of the applicant’s data. Following this examination, it was found that these agreements are not relevant to the present investigation. Further, while the applicant did acknowledge the existence of these agreements in their submissions, their disclosure was limited by the confidentiality clauses.
29. Further, neither the existence of these agreements, the potential joint venture and nor the imposition of duties would serve as a barrier to the entry of the subject goods into the Indian market. As long as the subject goods are imported at an un-dumped price, they may continue entering the market.

**ASSESSMENT OF DUMPING AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE,  
EXPORT PRICE, DUMPING MARGIN, NON-INJURIOUS PRICE AND INJURY  
MARGIN**

### **F.1 Submissions by the other interested parties**

30. The other interested parties did not make any submissions with regard to the normal value, export price and dumping margin.

### **F.2 Submissions by the domestic industry**

31. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin:
- i) China should be considered a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by the investigating authorities in other countries. Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.
  - ii) The Authority shall follow Para 1 – 6 of Annexure I for the determination of normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the responding Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin.
  - iii) Paragraph 1 to 6 of Annexure I of the Rules does not apply for computation of normal value for imports from China PR, unless a producer/exporter shows with sufficient evidence that he is operating under market economy conditions. As a result, normal value for China PR has to be determined in terms of Para 7 of Annexure I of the Rules.
  - iv) Chinese producers are required to be treated as companies operating under non-market economy environment and the Authority may proceed to determine the normal value on the basis of Para 7 of Annexure-I.
  - v) The applicant submitted information on the selling price of producer of the subject goods in UK, which was considered for determination of normal value. Besides this the applicant also proposed to consider import price of CTF in India from UK, as it constitutes 2.8% of total imports into India.
  - vi) Lastly, the applicant also calculated normal value based on estimate of cost of production i.e. considering the costs of the domestic industry in India, duly adjusted to include selling, general and administrative costs of the domestic industry by adding reasonable profits, after addition for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.
  - vii) Export price has been determined considering the volume and value of imports for the proposed period of investigation as per the data procured from market intelligence sources in view of non-availability of DGCI&S data. Price adjustments have been claimed on a conservative basis for the purpose of fair comparison.
  - viii) The applicant has requested verification of export volume and value provided by the responding exporters with the DGCI&S and DG Systems data under both, chapter 39 and 48.

- ix) The applicant further requested the Authority to consider that the exporters have reported all the expenses that have been incurred by them in exporting the product. Further, it must be noted that the exporters are required to report all expenses which address the differences between conditions and terms of sale between domestic and exported product.
- x) Considering the normal value calculations suggested, the dumping margins have been calculated. The dumping margins so calculated are not just above the *de-minimis* level but also quite significant.
- xi) It is also the contention of the applicant that in the Indian market of the subject goods, the ultimate consumer did not reap the benefit to the extent of price difference between the domestic and imported product. Almost entirety of the subject imports is being made by traders who are catering to the majority of the customers. These traders even after pocketing a huge margin for themselves are undercutting the prices of the domestic industry. None of the traders have participated in the present investigation. Non-participation of traders is a deliberate act as the importer questionnaire would require them to disclose their resale prices.

### **F.3 Examination by the Authority**

32. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- i. the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- ii. when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
  - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
  - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

33. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, as well as to the appropriate diplomatic representative advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority within the prescribed time limit.
34. At the time of the initiation of the investigation, the Authority determined the normal value considering information that was available and sufficient to initiate the investigation. However, after initiation the determination of normal value has been made after taking into account the responses received from the interested parties.
35. Following producers/exporters have filed questionnaire response in this investigation:
- a. M/s Shandong Henglian New Materials Co. Ltd. and its related party M/s Shandong ICCAS-Henglian Biobased Materials Co. Ltd.
  - b. M/s Shaoxing Kede New Material Co. Ltd.
36. The normal value and export price for all producers/ exporters from the subject country have been determined as below.

### **F.3.1 Normal value**

37. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

*"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:*

*"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology, that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

- (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
- (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- (iii) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying*

*and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

- (iv) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (v) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event; the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector. "*

- i) Para 7 of Annexure I of the Rules reads as under:

*In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*

- 38. It is noted that paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules stipulate three methods of constructing the normal value for non-market economies: (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value must first be determined on the basis of the price or constructed value in a surrogate country, or the price of the exports from such country to other countries, including India. However, when such basis

is not possible, only then the Authority can determine the normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.

39. It is noted that no verifiable information/evidence has been provided by the parties for the construction of the normal value on the basis of the first and the second methods. While the applicant did submit evidence of price prevailing in a market economy third country i.e., United Kingdom (UK), but the same was based on merely price quoted in a single invoice of a producer in UK i.e., Futamura Chemical UK Ltd. A single invoice is not representative enough for the Authority to use it as a reference to determine the normal value.
40. Further, the PUC is known to have been imported under at least two HS codes, as has already been examined herein above, therefore, extrapolating the export price of the subject goods from third country to other countries is not possible. There are no significant imports coming to India from third countries except the subject Country. There is also no public data available with the Authority to determine the normal value from the above two methods. Therefore, the Authority has constructed the normal value for all exporters/producers from China PR based on the third method, i.e., “on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India”. The Authority has constructed the normal value on the basis of the price paid or payable in India as Rs. \*\*\*.

### **F.3.2 Export Price**

#### **A) Shandong Henglian New Materials Co. Ltd. and Shandong ICCAS-Henglian Biobased Materials Co. Ltd. (“Shandong Group”)**

41. In this finding, Shandong Henglian New Materials Co. Ltd. and Shandong ICCAS-Henglian Biobased Materials Co. Ltd., together are referred to as “Shandong Group”. Whereas Shandong Henglian New Materials Co. Ltd., is referred as “Shandong Henglian” and Shandong ICCAS-Henglian Biobased Materials Co. Ltd., is referred as “Shandong ICCAS”.
42. Based on the information furnished in the exporter questionnaire response, the Authority notes that Shandong Henglian is a producer and exporter of the subject goods from China PR. Shandong Henglian has exported \*\*\*MT of CTF directly to its unrelated customers in India during the POI which were verified and found to be correct in quantity and value terms as per DG System data base. Its related party, Shandong ICCAS, has also submitted the exporter questionnaire response. Shandong ICCAS is also a producer of the subject goods from China; however, it has only sold the subject goods domestically, and has not exported the subject goods either to India or to third countries.
43. Shandong Henglian provided the relevant information in the form and manner required and has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland freight, port charges and Bank Charges.

44. The Authority has undertaken desk verification of the information submitted by Shandong Henglian and examined Shandong Henglian’s claims and accordingly, the claims have been allowed. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Shandong Group has been determined after allowing the due adjustments and the same is mentioned in the dumping margin table below.

**B) Shaoxing Kede New Material Co. Ltd.**

45. Based on the information furnished in the exporter questionnaire response, the Authority notes that Kede is a producer and exporter of the subject goods from China PR. Kede has exported \*\*\*MT of CTF directly to its unrelated customers in India during the POI but on verification it is observed that there is a significant mis-match in the values reported by the exporter and the DG System data. Therefore, data reported by exporter cannot be relied upon and the same has not been considered.

**C) Non-cooperating producers/exporters**

46. The Authority has determined the export price for non-cooperating producers/exporters from China PR after considering the volume and value of imports based on the data of cooperating producers from China PR. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission, and bank charges. The export price so determined is stated in the below – mentioned dumping margin table.

**F.3.3 Determination of Dumping margin**

47. Considering the normal value and export price determined, as explained above, it is noted that the dumping margin is more than the de-minimis limit prescribed under the Rules.

**Dumping margin Table**

Company	Normal value	Export price	Dumping margin (1USD = 81.06)			
			Unit	INR/KG	USD/KG	% of Export price
Shandong Group	***	***	***	***	***	5-20%
Others	***	***	***	***	***	60-70%

**G. ASSESSMENT OF INJURY AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK**

**G.1 Submissions by other interested parties**

48. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to injury and causal link:

- i) The domestic industry has received significant protection from imports through imposition of ADD of 1.95 USD on imports of the PUC till 2017, i.e., for more than a decade. During this period, it continued enjoying a monopolistic position in the Indian market as it was the sole Indian producer of the PUC.
- ii) Despite being the sole producer, the domestic industry has not been able to generate profits even before the injury period. This reflects that the domestic industry is in a loss-making business because of its own inefficiencies.
- iii) The plant of the petitioner is very old having old technology adding to inefficiency in production causing injury to the firm, further it has entered into technology assistance agreement with the Futamura to improve the plant technology.
- iv) Kesoram faced multiple shutdowns in the years 2020-2021 and 2021-2022. This resulted in a significant decline in the domestic production of the PUC and an increase in imports. Despite this, Kesoram was able to significantly recover its market share during the POI.
- v) Kesoram's domestic sales have moved in tandem with the production quantity throughout the injury period. Since there was a halt in production during the year 2021-2022, the domestic sales also naturally declined. As soon as the production resumed, the domestic sales also increased.
- vi) Kesoram provided no data regarding price undercutting in the application, and the data submitted in the written submissions appears to be incorrect, as even though the landed price doubled in the POI, the price undercutting reported is unchanged.
- vii) The per unit average selling price of Kesoram has shown a significant improvement, even after the shutdowns in the years preceding the POI. Kesoram was able to increase its selling price, for both domestic as well as export sales.
- viii) With regard to the financial injury claim, Kesoram's own submissions in the application state that it does not directly compete with the exporters from the subject country, but with the traders in India, who are selling the PUC at a price 'marginally lower than' the domestic industry. This shows that Kesoram continues to drive the domestic price, and the traders sell in competition with the prices of Kesoram. The financial injury, if any, is not being caused by the subject imports.
- ix) Kesoram faced multiple shutdowns during the years 2020-2021 and 2021-2022. These shutdowns led to a halt in production of the PUC. Since Kesoram is the sole producer of the PUC, the user industries became entirely dependent on imports during these periods. Despite this, as soon as Kesoram resumed its production, it was able to increase its domestic sales in tandem with the production quantity.
- x) Kesoram has attributed the shutdown of its rayon plant to an absence of demand due to the pandemic. However, this is an unsubstantiated claim. Rayon is an essential raw material in the manufacturing of both the PUC and viscose filament yarn (VFY). The Authority may appreciate that in the anti-dumping investigation on VFY, the POI was 1st April 2021 to 31st March 2022, the same period in which Kesoram faced a major shut down, allegedly due to factors like declining demand and shortage of raw material. In this investigation, the Authority had noted that the demand increased after the POI.

- xi) The Authority's own findings show that there was neither a slump in demand of viscose filament yarn in the year 2021-2022, nor did the domestic producers face any adverse volume effects.
- xii) The rayon plant, which manufactures viscose filament yarn and the PUC, made negligible contributions to the humongous debt owed by the parent company, Kesoram Industries Limited. Hence, the shutdowns suffered by Kesoram were not solely because of the pandemic, but because the rayon plant was unable to generate profits.
- xiii) In its own submissions, Kesoram has stated that Travancore Rayon Limited, a company established in 1946, was the first company in Asia to manufacture the PUC. The company was however shut down in the 1980s. Further research shows that Travancore Rayon was unable to manufacture the PUC in a cost-efficient manner.
- xiv) To remain cost effective, Kesoram is making endeavors to upgrade its manufacturing process by inviting experts from Futamura, Japan, a leading global producer of the PUC. In 2019, Kesoram signed a "Technical Assistance Agreement" with Futamura, through which Futamura provides the technical know-how to Kesoram for upgradation of its manufacturing process.
- xv) Pulp for rayon and CTF is the same. Both the products are being manufactured by the applicant. The process to manufacture rayon is more complex than producing CTF, but former's prices are 30-40% less than CTF prices. Further, 2 other Indian producers of rayon in India are making profits.
- xvi) The industry's overhead costs are noted to be high compared to industry standards.
- xvii) The applicant has not given information regarding substitutes eating the market share of the subject goods. Products like BOPP films, PVC, paper, and biodegradable plastic have substituted the product under consideration. The applicant industry is limited to selling to sectors still using manual packing processes, while those employing automation are unable to use their products, indicating that any loss in sales cannot solely be attributed to imports from China.
- xviii) The applicant should provide segment-wise details of its sales. Applicant's 70% sales are direct, and rest is through traders. They cannot be unaware of the end use of their direct sales. They would also be aware of the sales made through their own dealers/ distributors. The domestic industry has also not disclosed its price list. They have separate rates for end customers and distributors.
- xix) That Kesoram's Rayon, transparent paper and chemical business undertaking were acquired by Cygnet Industries Limited in 2016, through a slump sale route for a consideration of \*\*\*. This acquisition was analyzed at length by the Authority in its final findings in the sunset review investigation concerning imports of viscose filament yarn originating in or exported from China PR dated 20th April, 2018, since Kesoram was an applicant in that investigation:
  - a. It was found during the investigation that the value of fixed Assets (tangible assets) as on 31.03.2016 was \*\*\* as per certified balance sheet of M/s Kesoram Rayon. However, the balance sheet of M/s Cygnet Industries Limited shows the value of fixed assets as \*\*\* as on the same date. The subsequent details indicate that the value was determined by an independent valuation agency. Since

Cygnnet Industries is \*\*\* subsidiary of Kesoram Industries limited, revaluation of assets was not considered for return purpose, as it may amount to circumventing the Annexure-III of the Customs Tariff (identification, assessment and collection of anti-dumping duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, 1955.

- b. Para 4 of Annexure-III states that a reasonable return on average capital employed for the product may be allowed for recovery of interest, corporate tax and profit. Net fixed assets of both the petitioner companies have been adopted without considering any revaluation.
- xx) That the industry's overhead costs are noted to be high compared to industry standards. Interested parties had made a request to Authority to meticulously review these costs and deduct variable expenses from claimed costs to ascertain the real cost.

## G.2 Submissions by the domestic industry

49. The following submissions were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

- i) Demand in the base year (2019-20) was \*\*\* MT, which declined due to COVID-19 to \*\*\* MT and increased thereafter. In the POI, demand was \*\*\* MT. When seen historically, the demand has somewhat declined but is picking up pace again in the recent period. The demand in the POI of the past original investigation conducted on subject goods, i.e., in 2004 – 2005 was 2670 MT.
- ii) Imports from the subject country gradually increased after cessation of duties and shot up in the POI. The volume of imports from China PR increased throughout the injury period with a significant increase in the POI. Import volume in the POI of the past original investigation was 545MT. Imports declined drastically when the duties were in place. However, after the expiry of measures, import volumes started to increase and shot up in the present POI.
- iii) Import volumes in the current POI are almost double the import volumes reported in the POI of the past original investigation, i.e., in 2004-05.
- iv) The market share of the domestic industry declined, while that of the subject country increased owing to aggressive dumping resorted by the Chinese producers in the POI.
- v) The imports are suppressing the prices of the domestic industry, leading to significant losses.
- vi) Production and sales of the domestic industry declined in the POI even though the applicant is taking a severe hit on its prices which in turn resulted into significant decline in profitability and cash profits, all of which are currently negative including the ROI.
- vii) Inventories increased significantly in the POI from the previous year.
- viii) The dumping margins are not only more than *de minimis* but also significant.
- ix) The volume of subject imports increased and, resultantly, the domestic industry lost sales volumes. The domestic industry suffered a decline in production and capacity utilization.

- x) The imports were undercutting the domestic prices and were causing price suppression in the domestic market. This led to significant decline in profits, cash profits, and return on investment.
- xi) Market share of the Chinese imports increased. Resultantly, the domestic industry lost market share.
- xii) The negative growth of the domestic industry in both volume and price parameters is due to dumped imports.
- xiii) Apart from China PR, the subject goods are being imported into India from UK at significantly higher prices.
- xiv) The domestic industry has not suffered injury in the POI due to possible contraction in demand. In fact, demand in the POI is more than thrice the demand in the base year.
- xv) The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change.
- xvi) The domestic industry has recent technology for production of the PUC. Possible developments in technology could not have been the cause of injury to the domestic industry. The applicant makes continuous efforts to upgrade the manufacturing process not because the applicant's technology is outdated but because it is driven to further enhance its efficiency.
- xvii) There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.
- xviii) From the invoices for both domestic sales in the UK and export sales from the UK to other members of EU, it is evident that the prices of CTF, globally, are higher than the prices in India. The applicant is as cost competitive as the producers in the UK. However, the applicant is deprived of fetching prices similar to what the producers in UK are earning, as it is forced to sell below cost owing to dumped imports from China that are entering the Indian market at a fraction of the cost of the applicant.
- xix) As regards the past investigations and duration for which duties were in place, it is submitted that the WTO Agreement mandates that the anti-dumping duty shall remain in force as long and to the extent necessary. Nowhere does the law prescribes maximum duration of the measure. Further, immediately after imposition of measures in the past, imports from China declined and the applicant started earning profits. The applicant had been earning profits for quite some time after the imposition of duties. However, post expiration of duty imports at dumped prices started to increase and the applicant's performance was affected. The applicant still made efforts to remain competitive and only approached the Authority much after cessation of duties because Chinese imports made domestic production unsustainable. It is baseless for the interested parties to contend that the applicant had been suffering because of internal inefficiencies or high cost, fixed cost or some other factors within the control of the applicant.
- xx) As regards the respondent's argument regarding applicant's efficiency and losses throughout the injury period, it is submitted that the imports weren't only causing injury in the POI alone but throughout the injury period. Import volumes started increasing right after the expiration of duty with a sharp increase in the POI. The applicant was in losses throughout the injury period, as the imports were significant throughout. The losses have intensified in the POI with significant increase in imports.

- xxi) As regards the argument regarding shutdown being cause of injury to the applicant and subsequent improvement in its performance, it is submitted that the shutdowns were due to government guidelines on Covid-19 in the previous years and subsequently because it was adversely impacted by restrictions placed on movement of non-essential commodities due to Covid 19. The period of shutdown is an abnormal period for which performance of the applicant needs to be normated. The applicant is not claiming injury due to shut down. Its performance in the POI needs to be compared to both normated performance in previous and the base year. The performance of the applicant has deteriorated in comparison to both, the base year and normated previous year.
- xxii) As regards the respondent's argument regarding the imports increasing to fulfil demand supply gap during the period of the applicant's shutdown, it may be noted that even if the import volumes increased in 2021-22 to fulfil the demand supply gap, there was no reason for the imports to shoot up from 536MT to 1077MT in the POI when the applicant's production underwent no disruption.
- xxiii) Regarding the respondent's contention that the applicant drives price in the market, it is important to consider the difference between the import price and the resale price. The traders have pocketed huge profits and undercut the applicant's prices. Any increase in the applicant's selling price is due to an increase in its cost, which is much higher than the increase in selling price. At the same time, import price is a fraction of the cost of production. The applicant has to follow the prices that are being offered by its competitors i.e., the Chinese imports.
- xxiv) The respondent has made a comparison between the present investigation and the investigation concerning imports of VFY from China PR. It may be noted that the applicant was not even the domestic industry in the VFY case and hence the Authority did not record its findings based on the parameters relevant to the domestic industry in the present case. The Authority is requested to consider facts pertaining to the present case.
- xxv) As regards the respondent's argument regarding the concerned division of the applicant having made negligible contribution to the debt owed and the applicant being in losses, it is submitted that while the applicant has borrowed funds from both its parent company and financial institutions, it has never defaulted in paying interest on the borrowings.
- xxvi) The respondent has also made a comparison between Travancore Rayon Ltd., a producer of the subject goods that shutdown in 1980's, it is submitted that the adverse effects faced by Travancore Rayon Ltd. in 1983 cannot be directly applied to the present case. The exhibit relied upon by the respondents itself states that "*The company continued to incur losses due to power cut ranging between 60 to 100%, recession in the industry and delay in installation of coal fired boiler.*"
- xxvii) As regards the respondent's argument regarding its selling price of rayon being lower than the selling price of CTF despite wood pulp being the main raw material for both, it is submitted that CTF and rayon yarn are two different products. Rayon prices are dependent on the denier of rayon. Certain low denier grades sell at prices equivalent to or even higher than the CTF prices.
- xxviii) As regards the respondent's argument that the market share of the subject goods has been taken by substitutes, it is submitted that substitutes are not eating up the market of the subject goods. There is no perfect substitute for the subject goods due to its inherent

properties like being biodegradable, home compostable, free from static electric charge which would otherwise pose threat of fire. Further, the applicant is not suffering injury due to the availability of substitutes. Though owing to availability of BOPP at almost a quarter of the prices of the subject goods, plastic had taken away some of the demand in the past, with governments worldwide banning single use plastic and consumers becoming increasingly aware of the negative impact of plastics, the demand for CTF is rising again. The current injury is not on this account.

- xxix) The respondent has stated that substitutes include products like biodegradable plastics, it is submitted that while there have been instances where users have claimed to be using biodegradable plastic, in reality there is no plastic material like biodegradable plastic. Such material is also BOPP film which is only coated with biodegradable material. Hence, it is only the coating that is biodegradable and not the film itself. As for reels suitable for automation work, the subject goods are still majorly being used in the firecracker industry which is prohibited to use automation in view of fire hazard.
- xxx) The respondents have submitted that the applicant has sold majority of their product directly to the consumers and cannot be unaware of who the end consumer is. It is submitted that the applicant, in the POI, has sold only a fraction of its product directly to end consumer. Majority of its sales have been through dealers. Out of a total of \*\*\* MT sold by the applicant, in the POI, merely \*\*\* MT was sold directly. In any case, majority volumes of the subject goods are sold to the firecracker industry, which is bound to use CTF for packing and wrapping of firecrackers as it can be easily used to pack and wrap crackers using adhesives and would not pose fire/safety hazard that heat sealing of plastics would.
- xxxii) There is no revaluation of the applicant's assets. It was a slump sale, and the applicant has purchased its manufacturing facilities on payment of a consideration. In case of revaluation of assets, the legal entity remains the same and does not undergo any change. In case of sale-purchase, it is the purchase consideration that forms the basis for valuation of assets in the books of the accounts of the purchaser and the seller. In the previous investigations (2021 and 2023) involving Indian Rayon and Grasim, similar asset sales were accepted by the Authority. These investigations are more recent and relevant than the 2018 investigation. Further, there have been investigations where the parties purchased second hand machineries or imported entire manufacturing plants is and the Authority allowed purchase value of the assets.
- xxxiii) It is also submitted that there are several investigations where the parties purchase second hand machineries. Sometimes, entire manufacturing plant is imported from Europe/Japan. The Authority never questioned such purchases and allowed purchase value of the assets. Therefore, the Authority is requested to consider that the applicant purchased the manufacturing facility and there was no revaluation of assets, in line with the principle followed in the recent investigations, i.e., the findings of 2021 and 2023, as referred above.

### G.3 Examination by the Authority

50. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
51. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and has examined various parameters in accordance with the Rules after duly considering the submissions made by the interested parties. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties in relevant paras.
52. Anti-dumping duty was imposed on the subject goods in 2006 after determining that dumping was causing injury to the domestic industry. The duties were further extended as there was evidence of the likelihood of dumping and injury to the industry. It is noted that the applicant got relief from dumping and its performance improved after the imposition of duties. The duties were in force until 2017. It is noted that post expiration of duty, volumes of the subject imports started to increase and resultantly the applicant's performance was impacted. As regards the contention that the applicant has received sufficient protection, it is noted that the law does not prescribe a maximum duration for which measures may be imposed. In any case, the applicant has approached the Authority after over 5 years from expiration of previous duties stating that imports are making domestic production unsustainable. Further, anti-dumping duties are imposed as a remedy against unfair imports and not to provide undue protection to the domestic industry.
53. With regard to the percentage of the applicant's direct and indirect sales, the Authority, based on the break-up of sales provided by the applicant, notes that the applicant has sold majority of its products through traders as well as the majority of imports are also through the importing traders. *Therefore, the end-use of the PUC can be best analysed or seen on the basis of regional presence of the traders.* It can be seen from the below table that though imports have also increased in Tamil Nadu and West Bengal regions as well as in other regions during the base year till the POI (2022-23). If we see the regions as surrogate indicator of the PUC usage, it points towards the increased usage of PUC in firecracker as well as in non-firecracker industries.

Year	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023
<b>Grand total of imports in KG</b>	<b>325,262</b>	<b>353,996</b>	<b>525,863</b>	<b>1,085,730</b>
Import in TN and WB	***	***	***	***
Imports in other regions	***	***	***	***
Other regions import share %	***	***	***	***

54. The submissions made by the interested parties with regard to injury and causal link. which have been considered relevant by the Authority are examined and addressed as under.

### G.3.1 Assessment of Demand/ Apparent Consumption

55. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the subject goods in India as the sum of domestic sales of the applicant and imports from all sources. The demand for the PUC is as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
<b>Applicant Domestic Sales</b>	MT	***	***	***	***
Applicant domestic sales	%	***	***	***	***
<i>Trend from base year</i>		100	63	104	59
Subject country Imports	MT	324	350	518	1041
Subject country Imports	% of total demand	***	***	***	***
<i>Trend from base year</i>		100	108	160	321
Imports from other countries	MT	1	3	7	30
Imports from other countries	%	***	***	***	***
<i>Trend from base year</i>		100	3	7	30
Total Demand	MT	***	***	***	***
<i>Trend from base year</i>		100	71	114	108

56. From the above, it is seen that the demand of the PUC has increased over the injury period. The demand in the base year i.e., 2019 – 2020, was \*\*\*MT. While a decline in demand was registered only in the year 2020-21, the same is attributed to Covid-19 pandemic. Demand in the POI recovered and is seen to have increased.

57. It is also observed and as claimed by petitioner that majority of PUC produced by the petitioner caters to fire-cracker industry but the claims of other interested parties that the substitutes are eating the market of PUC were denied by the petitioner. Further the other interested parties have not provided any evidence/justification to substantiate their claim. Hence, it cannot be accepted that the substitutes are eating the market of PUC.

58. Although, the PUC is mainly used in manual packaging like fire-cracker industries, bangles etc., the imports are also mainly catering to the same market.

### G.3.2 Volume effect of dumped imports on domestic industry

#### a) Imports in absolute and relative terms

59. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or in relation to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon the transaction-wise data of DGCI&S. The import volumes of the subject goods and share of the same during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
<b>Import Volume</b>					
Import from China PR	MT	324	350	518	1041
Imports from other countries	MT	1	3	7	30
Total imports	MT	325	353	525	1071
<b>Subject imports from subject countries in relation</b>					
Total imports	%	99.69	99.15	98.67	97.20
Indian production	MT	***	***	***	***
Indian production	%	***	***	***	***
Indian demand	%	***	***	***	***
Total demand (domestic sales)	MT	***	***	***	***

60. It is seen that:

- Imports from China has increased throughout the injury period, especially in the POI. The volume of subject imports has increased by over 300% in the POI as compared to the base year.
- Imports from the subject country constitute almost the entirety of the total imports into India throughout the injury period and 97% in the POI.
- Imports remained significant over the injury period in relation to production and consumption in India.
- Imports of the PUC are significant and cater to approximately 50-60% of the demand of the subject goods in India.
- Subject imports have captured 50-60% of the Indian market despite the applicant having sufficient capacity to meet the entire domestic demand. The rise in Chinese imports was far

sharper compared to the increase in demand. The increase in total demand is 5-15% in the POI compared to base year, whereas, total imports have increased by 300% from the base year.

61. It has been contended by the respondents that the imports during the period of shutdown of the applicant's operations were made to fulfil the demand supply gap in the country. However, the Authority notes that there was a further increase in import volumes from 524MT to 1071MT from 2021 – 2022 to the POI, when the applicant was in operation.
62. The Authority proposes to hold that the imports of the PUC in absolute terms besides remaining significant over the injury period, increased significantly in the POI. In terms of imports in relative terms the same is seen to have remained significant over the injury period.

### G.3.3. Price effect of dumped imports on domestic industry

63. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
64. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and the net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from the subject country.

#### a) Price undercutting

65. With regards to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the price or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The same has been examined in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Landed value of imports	Rs/MT	***	***	***	***
Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Price Undercutting</i>	Rs/MT	***	***	***	***
% of Landed Value		***	***	***	***
Range		150-200	50-150	0-50	50-150

66. It is seen that the price undercutting is positive and significant throughout the injury period. The average import prices went up from 2019-20 to POI. Nevertheless, throughout the injury period considered, the average import prices from the subject country concerned were consistently lower than Indian producer's prices.

**b) Price Suppression or Depression**

67. For the purpose of analysing price suppression and depression effect of the dumped imports on the domestic industry, the Authority has compared the cost of sales & selling price of the domestic industry with the landed price of subject goods.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend YoY		100	110	70	146
Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend YoY</i>		100	100	97	143

68. It is seen that the cost of sales and selling price of the domestic industry increased over the injury period. However, the increase in cost was higher than the level of increase in selling price. Import price is less than half the cost of production in the POI. Subject import, priced even below cost, forced the domestic industry to keep its selling price much below cost. Imports are thus seen to have caused price suppression in the Indian market.

**G.3.4. Economic parameters of the domestic industry**

69. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

70. The performance of the applicant in the POI has been compared with its performance in the base year and its performance in the previous year due to 2020 – 2021 and 2021 – 2022 being abnormal periods due to Covid-19 and restrictions placed on movement on non-essential goods.

**a) Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales**

71. The performance of the domestic industry with regards to capacity, production, capacity utilization and sales is as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Capacity	MT	***	***	***	***

<i>Trend</i>		100	83	100	100
Production	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	69	100	70
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	82	100	70
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	63	104	59

72. It is seen that:

- Demand for PUC has increased over the injury period.
- The capacity of the domestic industry remained constant. The applicant has sufficient capacity to meet the entire demand for the subject goods in the country.
- Production and sales of the domestic industry has declined significantly in the POI as compared to both base year and previous year.

**b) Market Share in Demand**

73. The market share is given in the table below:

<b>Particulars</b>	<b>Unit</b>	<b>2019-20</b>	<b>2020-21</b>	<b>2021-22</b>	<b>POI</b>
<b>Applicant Domestic Sales</b>	MT	1,450	913	1,511	849
Applicant*	%	82	72	74	44
<i>Trend from base year</i>		100	63	104	59
Subject country Imports	MT	324	350	518	1041
Subject country Imports	% of total demand	18	28	25	54
<i>Trend from base year</i>		100	108	160	321
Imports from other countries	MT	1	3	7	30
Imports from other countries	%	0.06	0.24	0.34	1.56
<i>Trend from base year</i>		100	3	7	30
Total Demand	MT	1,775	1,266	2,036	1,920
<i>Trend from base year</i>		100	71	115	108

74. It is seen that the market share of the subject country has increased significantly over the injury period. Applicant's share in demand has continuously declined over the injury period as compared to base year 2019-20. Despite the applicant being the sole producer in India and holding sufficient capacity to cater to the existing demand, the domestic industry barely holds a share of \*\*\* % in the Indian market.

75. As regards the argument of the other interested parties, that the applicant significantly recovered market share in the POI despite shutdown in previous year, it is noted that the

performance of the applicant has been compared to both the base year and previous year. As seen above the applicant's market share has deteriorated in comparison to both, the base year and the performance in the previous year despite a significant increase in demand in the POI.

**c) Profitability, Cash profits, and Return on Capital Employed**

76. The profit, profitability, cash profits, profit before interest (PBIT), and return on investment of the domestic industry over the injury period has been analysed as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Import price from China	Rs/MT	126994	183344	243838	309441
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		100	110	70	146
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		100	100	96	138
Profit before tax (PBT)	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		-100	-214	193	-232
PBT as % of cost	%	***	***	***	***
Trend		-100	-189	274	-158
Cash Profit	Rs/MT	-17955	-53184	96778	-37062
Trend		-100	-296	539	-206
ROCE	%	***	***	***	***
Trend		100	29	301	4

77. It is seen that:

- a. The applicant's cost of sales has increased significantly over the injury period, except in the year 2021-22, wherein the applicant's cost of sales significantly declined. However, cost of sales increased in the POI by as much as 46% compared to the base year. The applicant has been selling its product at prices much below its cost of sales since the base year except 2021-22. The applicant has explained that due to the presence of low-priced imports, the domestic industry has not even been able to recover even its cost of sales. The applicant has been experiencing losses since the base year. However, these losses have aggravated in the POI.
- b. The applicant incurred significant losses in 2019-20, and 2020-21 as well. In the base year while the import price was at its lowest, the cost of sales for the domestic industry was also the lowest in the injury period. Although landed value has improved in the POI as compared to 2019-20, it remains significantly below the cost of sales of the applicant. In fact, the difference in cost of sales to import price has been highest in the POI, thus resulting in such significant losses in the POI. The applicant's PBIT and cash profits have followed the same trend as profits.

- c. Despite there being an increase in demand over the injury period and the resultant increase in sales of the domestic industry, the cash profits and return on capital employed declined over the injury period.

**d) Inventory**

78. The data relating to inventory position of the domestic industry over the injury period and POI is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	32	14	10
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	45	30	336
Average Inventory	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	35	18	89

79. The Authority notes that level of inventories with the domestic industry has increased substantially from 2021 – 2022 to the POI. Such increase in inventories is significant in the POI when import volumes have also shown a significant increase. Closing stock at the end of the POI was over ten times the opening stock in the POI.

**e) Employment, Wages and Productivity**

80. The position with regard to employment, wages and productivity of the domestic industry is as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
No of employees	Nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	79	22	80
Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	81	34	106
Productivity Per day	MT/Day	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	69	100	70

81. The Authority notes that the number of employees of the domestic industry has decreased over the injury period. The salaries paid have registered an increase. Further, the productivity has also shown a decreasing trend in consonance with the movement of production.

**f) Growth**

82. The information with respect to growth of the petitioner is given below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	POI
Capacity Utilization	%	-7.89	7.89	-13.58
Production	%	-31	46	-30
Sales	%	-37	65	-44
Average Inventory	%	-65	-48	388
Profit per unit	%	114	-190	-220
Cash Profit	%	86.47	-401.07	-121.52
ROI	%	-5.96	22.74	-24.77

83. It is seen that the dumped imports have adversely affected the growth of the domestic industry in respect of both volume and price parameters.

**g) Magnitude of Dumping and Dumping Margin**

84. It is seen that dumping margin is not only more than *de-minimis* but also significant.

**G.3.5 Examination of Causal Link**

**NON-ATTRIBUTION ANALYSIS (OTHER FACTORS)**

85. Para (v) of Annexure – II to the AD Rules, 1995 requires the Authority to establish that the domestic industry is suffering injury due to the dumped imports. At the same, the Authority is required to examine factors other than the dumped imports that could have impacted the performance of the domestic industry so that the injury caused by other known factors is not attributable to the dumped imports of the subject goods. The relevant factors in this respect include the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry. The aforementioned factors have been examined below:

**a) Volume and prices of imports from third countries**

86. It is seen that almost entirety of the imports of the subject goods are entering India from the subject country. In any case, the volume of non-subject imports is not only miniscule in the POI but also priced much higher than the import price from China PR. Therefore, imports from other countries are not a cause of material injury suffered by the domestic industry.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Import Volume					
Subject Country	MT	324	350	518	1041

Other Countries	MT	1	3	7	30
Total	MT	325	353	525	1071
Subject Country (CIF Price)	₹/MT	1,26,994	1,83,344	2,43,838	3,09,441
Other Countries (CIF Price)	₹/MT	8,15,266	1,29,720	8,64,738	8,17,990

**b) Contraction in Demand**

87. It is seen that, the demand increased over the injury period. Demand in 2020-21 and 2021-22 collapsed due to Covid 19 and the restriction in movement of non-essential goods. Thereafter, the demand increased in the POI. The demand is at its highest level in the POI during the injury period.

88. While there may have been a decline in the demand for the product in the previous investigations, due to BOPP and single use plastics eating up the market share of the subject goods, the demand is once again showing an increasing trend. The subject goods are primarily used in the firecracker industry but with the ban on single use plastic and increasing awareness about eco-friendly products, the demand in other segments is gradually maturing.

**c) Changes in pattern of consumption**

89. It is seen that there are no changes in the pattern of consumption for the product under consideration over the injury period that could have caused injury to the domestic industry.

90. While other uses of the subject goods, like applications in food items, wrapping of soap and detergent, art and craft purposes, etc., have emerged in the recent few years, it is seen that the subject goods, whether domestic or imported, are primarily being used by the firecracker industry where it cannot be substituted with any other product. The firecracker industry is bound to use the subject goods as it can effectively be sealed using simple adhesive and does not pose a fire hazard unlike heat sealing of any plastics wrap. Hence, the firecracker industry is heavily reliant on the subject goods due to their functional and safety advantages, with no other suitable alternatives available.

**d) Conditions of competition and trade restrictive practices**

91. None of the interested parties have argued or brought forth any evidence regarding any trade restrictive practices that could have impacted the domestic industry's performance. The Authority notes that the investigation has not shown any change in the conditions of competition or any trade restrictive practices.

**e) Developments in Technology**

92. It is seen that there are no significant changes in technology.

**f) Export performance of the domestic industry**

93. As compared to previous years, the applicant's exports have declined. It is noted, however, that the applicant's export sales have not been a significant portion of its total sales. Thus, the applicant's export performance has not impacted the applicant's domestic sales performance.

**g) Performance of other products**

94. The domestic industry is the sole producer of the PUC, hence performance of other products is not relevant in the present investigation.

**FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK**

95. After examining the factors enumerated above, the Authority holds that the domestic industry has not suffered injury in the POI due to other factors. Further, the following factors show that the injury to the domestic industry is due to the subject imports:

- i) Imports of the subject goods have increased in absolute as well as relative terms, over the injury period, especially in the period of investigation.
- ii) Landed price is not only below the level of selling price but also below the cost of sales leading to price suppression in the market.
- iii) The capacities are grossly underutilised in view of imports. With increase in subject imports, the capacity utilisation of the domestic industry has declined to \*\*\* % in the POI.
- iv) The domestic industry has not been able to increase its production and sales commensurate with the increase in demand. In fact, production and sales in the POI have declined, despite an increase in demand.
- v) Market share of subject imports increased from \*\*\* % in the base year to \*\*\* % in the POI. Dumped imports, thus, hold a majority share in the total demand in India, while the applicant's share has decreased from \*\*\* % to \*\*\* % from the base year to the POI.
- vi) Inventories of the domestic industry have been significant, as the domestic industry has not been able to increase its sales in proportion to the increase in demand. Imports have been aggressively capturing the demand in India.
- vii) Subject imports, that are entering the market at prices below cost, are driving the prices in the market. The applicant is forced to sell at prices below its cost. Consequently, the domestic industry is in losses and its profitability and return on capital employed are drastically affected.

96. The above analysis indicates that the domestic industry is suffering material injury due to increasing dumped imports of PUC into India from subject country. There exists a strong causal relation between the increase in dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country and the material injury suffered by the domestic industry.

## **H. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN**

97. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating the injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules.
98. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below.

Company	NIP	Landed Price	Injury Margin (1USD = 81.06)			
			Unit		% of landed price	Range
	INR/KG	INR/KG	INR/KG	USD/KG		
Shandong Group	***	***	***	***	***	Negative
Others	***	***	***	***	***	30-40%

## **I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**

### **I.1 Submissions by other interested parties**

99. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to public interest:
- The applicant is attempting to block material from all other sources.
  - 70% of the subject goods is used for packaging of firecrackers. Imposition of duties could threaten the survival of small-scale firecracker manufacturers. Even if the imposition has a small impact on the overall cost of the downstream product, considering that the user base majorly comprises of small industries, this impact will be magnified.
  - Biodegradable transparent films are already more expensive than single use plastic. If the cost of procurement increases further, it will drive down the Government's initiative to promote the usage of the former. The PUC is in huge demand in promising segments like food packaging. However, applicant is not equipped to cater to it, since their product is outdated and suffers from significant quality issues. The PUC produced by them for the food segment is currently

unavailable on its own website. Moreover, the customer reviews show that the applicant cannot cater to this segment due to its poor quality.

- iv) The tender documents submitted by the applicant industry need careful scrutiny. In many cases, supplies were sourced from the applicant industry itself rather than from imported sources as claimed. A copy of the analysis of the Authority should be provided to all the interested parties also.

## **I.2 Submissions by the domestic industry**

100. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to public interest:

- i) It is in the interest of consumers to have a market with fairly priced products powered by a domestic industry that can compete with the imports.
- ii) Encouraging domestic manufacturing activities in India is essential to aid its role in becoming a manufacturing powerhouse. Domestic production will further boost employment and increase the GDP of the country.
- iii) Imposition of anti-dumping duties is essential to ensure a level playing field and prevent India from becoming solely import reliant on the product. The applicant is the sole producer of the subject goods in India. In case it collapses, the Indian market would become entirely reliant on imports to meet the demand of the subject goods, leading to issues such as high prices, disrupted availability, or trade deficits in a larger picture.
- iv) The applicant company is a multi-product company. If the performance of one of the business divisions of the applicant encounters severe setbacks, it will inevitably affect other divisions within the company as well. Therefore, the viability of this product is of utmost importance for the entire ecosystem of the applicant company.
- v) The ultimate consumer of the subject goods is not getting any benefits of the low-priced imports. The subject goods are imported by traders who ultimately sell it to the consumers. Such sales by traders are made at prices that are slightly undercutting the prices of the domestic industry. Hence, it is only the traders who are pocketing a huge profit margin and gaining market share of the product. This is substantiated from the information available in public domain, where a public sector undertaking releases tenders for procurement of subject goods. The tender has been awarded to traders whose bid value is much higher than the import price.
- vi) The cost on account of cellophane transparent film for a consumer is miniscule. The downstream user of the subject goods are industries using Cellophane transparent film for packaging of firecrackers, sweets, silver, etc. The cost on account of cellophane transparent film on the selling price of end products is as low as 0.03%. Further, as per communications received from firecrackers of firecrackers that use cellophane transparent film to pack and wrap their product shows that on an average cellophane transparent film constitutes 2-3% of the cost of firecrackers.

- vii) The subject goods imported from China PR were previously subject to anti-dumping measures. There is no public information to show that the previously imposed measures on cellophane transparent film had any adverse impact on the end consumer.
- viii) Cellophane transparent film is made from wood pulp. Hence, it is non-toxic, biodegradable and environment friendly. It is a sustainable alternative to plastic films and thus, can help reduce the detrimental impact of plastic waste on the environment, wildlife and wellbeing of the population of the country. Further, with the rising awareness of the ill-impact of plastic and governments worldwide banning single use plastic, the demand for the subject goods is only going to increase.

### **I.3 Examination by the Authority**

101. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. Trade remedial investigations are intended to restore equal competitive opportunities in the domestic market by ensuring a level playing field for domestic producers by the imposition of appropriate duties against trade distorting imports. At the same time, the Authority is aware that the impact of such duties is not limited to only the domestic producers of the PUC but also affects the users and consumers of the PUC. Moreover, the imposition of duties may introduce competition concerns domestically but can concurrently stimulate the emergence of new producers within the country.
102. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information about the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. Information was sought on, *inter-alia*, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty.
103. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all the user industries of the investigation.
104. The opposing interested parties have not provided any quantifiable and/or verifiable information on the likely impact of anti-dumping duty on the downstream industry and end customers.
105. It is noted that there is no demand-supply gap in the country. The applicant is the sole producer of the subject goods in India but holds more than sufficient capacity to cater to the

entire demand for the subject goods in the country. The applicant has a capacity of \*\*\* MT as against a demand of \*\*\* MT in the POI.

106. The impact on downstream user of the subject goods are the industries using cellophane transparent film for packaging of sweets, silver, firecrackers etc is given below:

<b>Sweets- Kaju Barfi of 1 kg</b>	
Use of Cellophane as a Separator	
Quantity	Price (Rs.)
1 kg box	800
1 piece of A4 sheet	1
% of Cost of uses of 1 A4 Sheets	0.13%

<b>Sliver Ornaments - 100 Gm</b>	
Use of Cellophane as a Wrapper	
Quantity	Price (Rs.)
100 Gm @ Rs. 60000/Kg	6000
1 piece of A4 sheet	1
% of Cost of uses of 1 A4 Sheets	0.02%

107. The number of sheets used in the packaging of one sweet box is limited to 1 and the overall percentage of cost in it is just 0.13% and in case of packaging of silver ornaments, it is 0.02%. Further, the major consumer of cellophane transparent film is firecracker industry and the cost on account of cellophane transparent film constitutes only 2 – 3% of cost of firecrackers as claimed by one of the downstream industries. The percentage of the product used in the industry and its costing is quite low and the impact of the price change of the PUC on the downstream industry is negligible.

## **J. POST DISCLOSURE COMMENTS:**

### **J.1 Submission of Other Interested Parties:**

108. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the public interest:

- i. The interested parties have no comments on the scope of Product Under Consideration (PUC).
- ii. The interested parties have no comments on the observations regarding the standing of the applicant as the domestic industry.
- iii. With regard to determination of individual anti-dumping duty rate it is submitted that the exporters have provided all necessary data and cooperated fully during the investigation, including desk verification and post-verification processes.

- iv. With regard to assessment of demand and absence of injury, it is submitted that the domestic industry is not facing injury from the imports of the PUC. There are discrepancies in the injury data submitted by the applicant and the losses are due to outdated manufacturing processes, not imports.
- v. The public interest and impact analysis lacks a price comparison between the PUC and single use plastic, as both these products cater to the same markets and for similar purposes. The analysis should consider lower prices of products and include a comparison between PUC and single-use plastic.
- vi. With regard to non-attribution analysis and Indian industry's interest, it is submitted by the interested parties that imposing anti-dumping duty would negatively affect small-scale industries using the PUC. Affordable availability of the PUC is crucial for promoting solar energy usage in India.

## **J.2 Submission of Domestic Industry:**

109. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to public interest:

- i. Imports from the subject country have increased in absolute terms and are significant in relative terms. Demand has increased throughout the injury period. However, the increase in imports is much more than the increase in demand.
- ii. The landed value of imports is much below the cost of the domestic industry. The gap between the landed price and costs was the highest in the POI. Hence, not only are the subject imports undercutting the prices of the domestic industry but also undercutting its costs.
- iii. The injury to the domestic industry is not due to factors other than dumped imports. Imports from non-subject country form hardly 3% of the total imports into India. The demand for the subject goods has increased with increasing awareness about eco-friendly products. There has been no change in pattern of consumption or in the condition of competition. Further, there has been no change in technology. In fact, the applicant makes continuous efforts to remain updated and ensures that its facilities are at par with the global standards.
- iv. The subject goods were subject to anti-dumping duty in the past. However, there is no public information to show that such duties had any adverse impact on the end consumer.
- v. The subject goods form a very small portion of the overall cost of the downstream industry. An analysis of impact undertaken by the domestic industry shows that duties would have an impact of as low as 0.03% on the downstream industry.
- vi. The domestic industry has sufficient capacity to cater to the present demand in the country and also the projected increase in demand in the future.
- vii. While duties do not restrict imports from the subject country, apart from the applicant and producers in China PR, there are other producers of the subject goods in countries like Japan, UK and USA, the consumers can source subject goods from these countries as well.
- viii. Having a domestic source of supply is a step towards making India self-reliant and *Atma-Nirbhar*. It is important for the consumers to have a stable, healthy and reliant source of

domestic supply. The Indian producer would prioritize the needs of the domestic consumers as opposed to foreign producers who might shift their focus to other countries for profit maximisation.

- ix. As regards the argument that the sole producer in India would have a monopolistic impact, the applicant has been the sole producer of the subject goods for decades and anti-dumping duty on subject imports was also in place in the past, however, there have been no allegation of abuse of duties or monopolistic attitude by the domestic industry.
- x. The Authority should recommend duty in terms of US\$ for a period of 5 years, as is the general practice of the Authority.

### **J.3 Examination by Authority:**

- 110. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties and notes that majority of the comments are reiterations which have already been suitably examined and adequately addressed in the relevant paras of the final findings. The same are not being repeated in the post-disclosure examination by the Authority for the sake of brevity. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
- 111. The Authority provided detailed import data, including bills of entry (number and date), quantity, value, etc. to the exporter for cross-verification of this data with the data and supporting invoices submitted by the M/s Shaoxing Kede New Material Co. in their exporter questionnaire response (EQRs). The exporter was provided ample opportunities to reconcile the discrepancies between these data i.e., the exporter's data and DG Systems data. However, the examination revealed significant inconsistencies, some of the invoices submitted by the exporter were found to exist in DG system but with substantial value mismatches besides overall gross mismatch and some of the invoices submitted by the exporter were not found in the DG system. Given the exporter's inability to adequately justify these disparities, the Authority finds the provided information unreliable for determining individual dumping margins.
- 112. As regards the comparison of single-use plastic and the subject goods neither the interested parties nor the domestic industry provided any data for comparison.
- 113. The other interested parties have argued that imposition of anti-dumping duty would negatively impact small-scale industries using the PUC. This argument has already been addressed in the user-impact analysis.

### **K. CONCLUSION**

- 114. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes as follows:

- i) The scope of the product under consideration is “Cellophane Transparent Film” originating in or exported from China PR.
- ii) The subject goods are classified under the customs sub-headings 39207111 and 48239090.
- iii) The application has been filed by M/s. Kesoram Rayon, a unit of Cygnet Industries Ltd. The applicant is the only producer of the subject goods in India and constitutes domestic industry, under Rule 2(b) of the Rules and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3).
- iv) The subject goods exported from China PR and the article manufactured by the domestic industry are ‘like article’ to each other in terms of Rule 2 (d) of the AD Rules, 1995
- v) The product under consideration has been exported to India at a price below the normal value, resulting in dumping. The dumping margin is not only above *de-minimis* level but also significant.
- vi) Imports from the subject country constitute almost the entirety of the imports into India throughout the injury period, and almost 98% in the POI. Further, the volume of the subject imports increased over the injury period, especially in the POI.
- vii) The subject imports have captured \*\*\* % of the Indian market despite the applicant having sufficient capacity to meet the domestic demand. The rise in Chinese imports was far sharper compared to the increase in demand. As the overall increase in consumption was by only 10% in the POI compared to base year, imports increased by 230% and the Indian producer’s sales declined by 41%.
- viii) The average import prices went up from 2019-20 to the POI. Nevertheless, throughout the injury period, the average import prices from the subject country were consistently lower than the Indian producer’s prices. Thus, the imports are undercutting the prices of the domestic industry.
- ix) The subject imports from China PR have a considerable suppressing impact on the prices of the domestic industry. In order not to lose market share, the domestic industry had no other option but to sell below cost.
- x) The production, capacity utilization and domestic sales volume have declined over the injury period.
- xi) The market share of the subject country has increased over the injury period. Consequently, the market share of the domestic industry declined.
- xii) Despite the applicant being the sole producer in India and holding sufficient capacity to cater to the existing demand, the domestic industry barely holds a share of \*\*\* % in the Indian market.
- xiii) The domestic industry has been in losses throughout the injury period.
- xiv) The average inventories of the applicant have increased during the POI as compared to the base year.
- xv) The number of employees of the domestic industry has decreased over the injury period. The salaries paid have registered an increase. Further, the productivity has also decreased in consonance with the movement of production.
- xvi) The dumped imports have adversely affected the growth of the domestic industry in respect of both volume and price parameters.

- xvii) The Authority has examined the submissions made by the other interested parties on any other factors which could have caused injury to the domestic industry. No other factor appears to have caused injury to the domestic industry.
- xviii) The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties to this investigation. None of the interested parties except the domestic industry have responded to the economic interest questionnaire. The domestic industry has also provided a quantification of the potential impact of the duty. The Authority has quantified the impact of anti-dumping duty on the consumers which is miniscule.

### **L. RECOMMENDATIONS**

- 115. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- 116. The product under consideration has been exported to India from the subject country below their normal values.
- 117. The domestic industry has suffered material injury.
- 118. Material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and causal link thereof in terms of the Anti-Dumping Rules and having established a positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti-dumping duty is necessary to offset dumping and injury concerning the imports of subject goods originating in or exported from subject countries. Therefore, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from subject countries in the form and manner described hereunder for the period of 5 years from date of imposition.
- 119. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of Definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury on imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, so as to remove the injury to the domestic industry.
- 120. Accordingly, definitive anti-dumping duty on the subject goods with sub Heading of Tariff Item in column (2), the description is specified in column (3), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6) and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7) of the Table below,

is recommended to be imposed from the date of the Notification which may be issued by the Central Government in this regard.

SN.	Sub Heading of Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty as USD/KG
1	2	3	4	5	6	7
1	39207111 and 48239090	Cellophane Transparent Film	China PR	Any country including China PR	Shandong Henglian New Material	nil
2	39207111 and 48239090	Cellophane Transparent Film	China PR	Any country including China PR	Others	1.34

#### **FURTHER PROCEDURE**

121. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

  
 Anant Swarup  
 (Designated Authority)

फाइल संख्या 06/18/2023 - डी जी टी आर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 06 अगस्त, 2024

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी-ओआई-17/2023

**विषय:** चीन जन. गण., के मूल अथवा वहां से निर्यात किये गये "सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच ।

### मामले की पृष्ठभूमि

1. मैसर्स केसोराम रयॉन, सिग्नेट इंडस्ट्रीज लिमि. की एक इकाई (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" कहा गया है) ने चीन जन. गण. के जिसे ("संबद्ध देश" भी कहा गया है) मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये "सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म" (जिसे आगे "सी टी एफ" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने तथा पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष निर्धारित रूप में तरीके से एक आवेदन दायर किया।
2. प्राधिकारी ने पूर्व में चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये "सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की थी जिसकी शुरुआत दिनांक 27 सितंबर, 2005 की अधिसूचना संख्या 14/7/2005 - डी जी ए डी के माध्यम से की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 3 फरवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या 14/7/2005 - डी जी ए डी के माध्यम से आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी। ये अनंतिम पाटनरोधी शुल्क वित्त मंत्रालय के दिनांक 3 मार्च, 2006 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 31/2006 - सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से लगाये गये थे। बाद में, प्राधिकारी ने दिनांक 28 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 14/7/2005 - डी जी ए डी के माध्यम से निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की। तत्पश्चात, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 7 सितंबर, 2006 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 94/2006 - सीमाशुल्क (ए डी डी) के

माध्यम से शुल्क लगाया। प्राधिकारी ने पूर्व में की गई मूल जांच और अपनी पहली निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन, क्षति, उसका कारणात्मक संबंध और चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव की जांच की। विस्तृत जांच के बाद, प्राधिकारी ने सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने का निष्कर्ष निकाला और यह सिफारिश की कि निश्चात्मक पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने की आवश्यकता थी।

3. प्राधिकारी ने बाद में पहली निर्णायक समीक्षा जांच की, जिसकी शुरुआत दिनांक 1 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 15/15/2010 - डी जी ए डी के माध्यम से शुरुआत की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 30 नवंबर, 2011 की अधिसूचना संख्या 15/15/2010 - डी जी ए डी के माध्यम से शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित की। वित्त मंत्रालय दिनांक 13 जनवरी, 2012 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 05/2012 - सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से शुल्कों को जारी रखा। प्राधिकारी ने बाद में दिनांक 12 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 15/18/2016 - डी जी ए डी के माध्यम से दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की। हालांकि इस जांच को 9 नवंबर, 2017 को समाप्त कर दिया गया था। इस जांच को इस तथ्य पर विचार करते हुए समाप्त किया गया था कि क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों के अनुसार कोई आयात नहीं किया गया था।
4. आवेदक ने यह अनुरोध करते हुए पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के 5 वर्षों के बाद प्राधिकारी से पुनः संपर्क किया कि इसकी समाप्ति के बाद, संबद्ध आयात ने भारी मात्रा में पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करना पुनः शुरू कर दिया है और इसके फलस्वरूप आवेदक उद्योग के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे अगर लगाया गया तो वह घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा की सफारिश करने के लिए नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2023 की अधिसूचना संख्या 06/18/2023 - डी जी टी आर के माध्यम एक आम सूचना जारी की।

### प्रक्रिया

5. निम्नलिखित निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण इस जांच के संबंध में किया गया है :

- i) प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार इस जांच की शुरुआत करने की कार्यवाही करने के पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ii) प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे अगर लगाया गया तो वह घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा की सफारिश करने के लिए नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2023 की अधिसूचना संख्या 06/18/2023 - डी जी टी आर के माध्यम एक आम सूचना जारी की।
- iii) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं (जिनके विवरण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये थे) को इस प्रश्नावली के साथ आम सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया। उन्हें सलाह दी गई थी कि वे सूचना के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उत्तर दें।
- iv) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों और दूतावास को आवेदन की अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन की एक प्रति भी जहां कहीं भी अनुरोध किया गया अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी।
- v) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को संगत सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावलियां भेजीं।

क्र. सं.	उत्पादक/ निर्यातक
1.	हुबई केमिकल फाइबर हुबई जिनयांग स्पेशल फाइबर कं. लिमि.
2.	एम एस शोजिंग केडे न्यू मेटेरियल कं.
3.	शानडॉंग हेग्लियन न्यू मेटेरियल
4.	सिनोराइट इंटरनेशनल ट्रेड
5.	स्टार केमिकल्स फार ईस्ट कं. लिमि.
6.	वेईफांग - हेग्लियन सेलोफेन कं. लिमि.
7.	यॉगकाँग डूम इंप एक्स कं. लिमि.

8.	यूयूयाओ पेपर मिल
9.	झिजंग यूओ पेपर ग्रुप
10.	झेजियांग यूआनटल स्पेशल फिल्म कं. लिमि.

vi) संबद्ध देश के निम्नलिखित निर्यातकों/ उत्पादकों ने निर्यात की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है अथवा अनुरोध किया है :

क्र. सं.	उत्तर देने वाले उत्पादक/ निर्यातक
1.	शानडॉंग हेग्लियन न्यू मेटेरियल्स कं. लिमि.
2.	शानडॉंग आईसीसीएस - हेग्लियन बायोबेस्ड मेटेरियल्स कं. लिमि.
3.	शाओजिन केडे न्यू मेटेरियल कं. लिमि.

vii) प्रश्नावलियां पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को भी भेजी गई थी :

क्र.सं.	आयातक/ प्रयोक्ता
1.	अविवाह इण्डिया
2.	ब्राइट स्टार एजेंसी
3.	इकारटेज टेक्नोलॉजी प्रा. लिमि.
4.	हरि एजेंसीज
5.	जवारिमल डालमचंद
6.	मांगीलाल एंड क.
7.	नवस्टर इम्पेक्स
8.	क्वालिटी पेपर मार्ट
9.	शिवानंदा मार्केटिंग प्रा. लिमि.
10.	एस बी एम मार्केटिंग प्रा. लिमि.
11.	स्टैंडर्ड फायरवर्क्स (प्रा.) लिमि.
12.	सूर्या इम्पेक्स

viii) सालवोनिक ने अपने आप को संबद्ध वस्तुओं के एक उपभोक्ता के रूप में वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया। हालांकि, इसने आयात/ प्रयोक्ता की प्रश्नावली का उत्तर अथवा कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

ix) इसके अलावा, द इंडियन फायरवर्क्स मेनुफेक्चर्स एसोसिएशन (टीफमा) ने 24 जनवरी, 2024 को हुई मौखिक सुनवाई के बाद प्राधिकारी के समक्ष अपना

अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। टीफमा ने हालांकि, वर्तमान जांच में अपने आप को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं किया अथवा निर्धारित प्रश्नावलियों का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। एसोसिएशन के तर्कों का जहां कहीं भी आवश्यक हुआ उपयुक्त रूप से समाधान कर दिया गया है।

- x) वर्तमान समीक्षा के उद्देश्य से जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 महीने) (जिसे आगे 'जांच की अवधि' अथवा "पी ओ आई" कहा गया है) है। क्षति के विश्लेषण की अवधि में जांच की अवधि और उसके पूर्व के वर्षों 2019-20, 2020-21, 2021-22 को शामिल किया गया है।
- xi) प्राधिकारी ने दिनांक 30 सितंबर, 2023 की जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के पैरा 7 के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में अपनी टिप्पणियां और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पी सी एन) जांच की शुरुआत के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया जो 15 अक्टूबर, 2023 को समाप्त हो गया। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में अथवा पी सी एन बनाये जाने के लिए निर्धारित समय अवधि के भीतर कोई अनुरोध नहीं किया गया। तदनुसार, प्राधिकारी ने 8 नवंबर, 2023 को प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि और पी सी एन नहीं बनाये जाने की कार्यवाही की जैसा कि जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में प्रस्तावित था।
- xii) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ई आई क्यू) जारी किया। ई आई क्यू का उत्तर केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
- xiii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच ऐसे दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को जहां कहीं भी आवश्यक हुआ स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निदेश दिया।
- xiv) आवेदक को उस सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया।

- xv) घरेलू उद्योग का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक उसे वर्तमान जांच के उद्देश्य से आवश्यक माना गया।
- xvi) सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर उन सभी को इस अनुरोध के साथ अपलोड की गई थी कि वे जांच दल के साथ सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ई-मेल करें।
- xvii) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर तथा जिसे सामान्य रूप से स्वीकार की गई लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) के अनुसार रखी गई सूचना के अनुसार भारत में उत्पादन की लागत तथा संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने और उसकी बिक्री करने की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे "एन आई पी" कहा गया है) यह तथ्य सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया है कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त है।
- xviii) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों को 24 जनवरी, 2024 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे 31 जनवरी, 2024 तक अपने लिखित अनुरोध और अधिक से अधिक 7 फरवरी, 2024 तक प्रतिउत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें।
- xix) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच होने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में बहुत अधिक हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी टिप्पणी रिकार्ड की है।
- xx) सुप्रा रूल्स के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा 23 जुलाई 2024 को संबंधित इच्छुक पार्टियों को आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया गया था। 29 जुलाई 2024 तक टिप्पणियों का अनुरोध किया गया था। प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक समझी गई सीमा तक प्रकटीकरण विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर इस अंतिम निष्कर्ष में विचार किया गया है।
- xxi) \*\*\* इस अंतिम निष्कर्ष में एक इच्छुक पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी का प्रतिनिधित्व किया गया है, और नियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा इस पर विचार किया गया है।

- xxii) भारतीय रुपए यू एस डॉलर के परिवर्तन के लिए जांच अवधि के वास्ते माना गया विनिमय दर 1 यू एस डालर = 81.06 रुपए है।

### विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. जांच की शुरुआत के चरण में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे "पी यू सी" भी कहा गया है, निम्नानुसार है :

*"3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म" (सी टी एफ) (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) है। इस उत्पाद को वैश्विक स्तर पर अन्य नामों जैसे " सेलोफेन ट्रांसपेरेंट पेपर", "सेलोफेन पेपर" "ट्रांसपेरेंट पेपर", "ट्रांसपेरेंट फिल्म", "टी पी फिल्म", "सी टी पी फिल्म" आदि" के रूप में भी जाना जाता है।*

7. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पी सी एन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी और तदनुसार, यह विचाराधीन उत्पाद और पी सी एन पद्धति अधिसूचना (जिसे आगे "क्षेत्र अधिसूचना" भी कहा गया है) दिनांक 8 नवंबर, 2023 के माध्यम से स्पष्ट किया गया था कि जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि की गई थी।

### **ग. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

8. अन्य हितबद्ध पक्षकारों विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- i) आवेदक का फ्यूटामूरा के साथ आवेदक द्वारा निर्माण न किये गये कुछ उत्पाद प्रकारों की बिक्री करने के लिए करार है।
- ii) यह भी अनुरोध किया जाता है कि आवेदक रील फॉर्म में कोड किये हुए सी टी एफ और सी टी एफ का उत्पादन नहीं करता है। इस कारण से कोड किये हुए सी टी एफ और रील दोनों विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर होने चाहिए।
- iii) यह भी कि आवेदक द्वारा उत्पादन किये गये रील उन मानकों के अनुरूप नहीं हैं, जिनका उपयोग ऑटोमेशन कार्य के लिए किया जाता है। ऑटोमेशन में उपयोग किये गये रीलों को भी बाहर किया जाना चाहिए।

## ग. 2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

9. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- i) अलग अलग जी एस एम वाले सी टी एफ के अलग अलग रूप हैं। हालांकि, उपभोक्ता जी एस एम पर विचार किये बिना इन उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करते हैं।
- ii) विचाराधीन उत्पाद का उपयोग देश में बड़ी संख्या में छोटे-छोटे उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद एक आदर्श पैकिंग सामग्री है। इसका उपयोग फाइल वर्क्स, मिठाइयों, फलों और खाद्य सामग्रियों, कैंडी, कंफेक्शनरीज, उपहार, साबुन, अगरबत्ती, सिल्वरवेयर आदि की पैकिंग और रैपिंग में किया जाता है। विगत में, विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आई थी। तथापि, हाल के कुछ वर्षों में इस उत्पाद के नये अनुप्रयोग होने लगे हैं।
- iii) आवेदक का फ्यूटामूरा के साथ करार है जिसके द्वारा यह इसकी ऐसे उत्पादों के लिए बाजार का आकलन करने तथा अपने विशिष्ट उत्पाद को दर्शाने की योजना है। ये फ्यूटामूरा के लिए अतिविशिष्ट उत्पाद प्रकार हैं। न तो आवेदक और न ही चीन के उत्पादकों के पास इन उत्पादों का निर्माण करने का मालिकाना अधिकार है।
- iv) जहां तक कोड किये हुए सी टी एफ का प्रश्न है, भारतीय बाजार में वर्तमान में उसकी कोई मांग नहीं है। इसका न तो आवेदक द्वारा उत्पादन किया जा रहा है और न ही आयात किया जा रहा है। किसी भी मामले में, आवेदक के पास कोड किये हुए सी टी एफ का उत्पादन करने की भी सुविधा है जिसका उत्पादन और आपूर्ति सिगरेट उद्योग को 1990 के उत्तरार्ध तक किया जा रहा था। उसके पश्चात कोड किये हुए सी टी एफ के लिए किसी मांग की जानकारी नहीं है।
- v) आवेदक सी टी एफ रील फॉर्म का उत्पादन करता है, जिसे बाद में ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार सीटों में काटा जाता है। यदि किसी ग्राहक को रील फॉर्म में सी टी एफ की आवश्यकता होती है तो घरेलू उद्योग वह उपलब्ध करायेगा। जहां तक ऑटोमेशन कार्य के लिए उपयुक्त रील का प्रश्न है, इस उत्पाद का अभी भी प्रमुख रूप से फायर क्रेकर उद्योग में उपयोग किया जा रहा है, जिस पर आग के खतरे को देखते हुए ऑटोमेशन का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

- vi) यह भी कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये संबद्ध वस्तु और चीन जन. गण. से आयात किये गये संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, निर्माण करने की प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं का प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के मामले में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानापन के लायक हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया यह उत्पाद विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है।
- vii) इसके अलावा, विगत जांच के इतिहास पर विचार करते हुए यह देखा जायेगा कि प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के एक ही क्षेत्र का वर्तमान जांच के रूप में सतत् रूप से निर्धारण किया है। इस कारण से, इस मुद्दे पर आगे विचार-विमर्श और जांच की आवश्यकता नहीं है।
- viii) आयात आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात अनेक विवरणों का उपयोग करते हुए किया गया है। विचाराधीन उत्पाद का आयात सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की सीमा उपशीर्ष 39207111 और 48239090 के अंतर्गत किया जा रहा है। प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 14/7/2005 - डी जी ए डी के माध्यम से जारी किये गये अपने जांच परिणामों में यह भी नोट किया था कि बड़ी संख्या में आयातों में विचाराधीन उत्पाद के उद्देश्य से वर्गीकरण नहीं है और इनका आयात जो लागू है उसकी तुलना में अलग अलग सीमा शुल्क वर्गीकरण के अंतर्गत किया गया है।

### ग. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म" (सी टी एफ) है। इस उत्पाद को वैश्विक स्तर पर अन्य नामों जैसे "सेलोफेन ट्रांसपेरेंट पेपर", "सेलोफेन पेपर", "ट्रांसपेरेंट पेपर", "ट्रांसपेरेंट फिल्म", "टी पी फिल्म", "सी टी पी फिल्म" आदि के रूप में भी जाना जाता है।
11. सी टी एफ ग्लास स्पष्ट पारदर्शिता और स्पार्कल का एक पुनः उत्पादित सेल्यूलोस फिल्म है। यह लचीला फिर भी कड़ा है। यह उत्कृष्ट मशीनी क्षमता तथा डायमेशनल स्थिरता दर्शाता है। यह लकड़ी के गूदे से बनता है। यह विषरहित, बायाडिग्रेडेबल होता है और किसी अन्य कागज जो काला राख छोड़ता है की तरह जलता है। सी टी एफ को रंगा जा सकता है अथवा यह सफेद हो सकता है। यह सीट और रोल फार्म में उपलब्ध है। यह एक पैकेजिंग सामग्री है और इसका प्रमुख रूप से उपयोग फायर वर्क्स की पैकिंग और रैपिंग में किया जाता है क्योंकि यह नमी को रोकता है और इस कारण से क्रेकर्स के न फूटने से बचाता है और इसके गैर स्थैतिक गुणों के कारण आग का खतरा नहीं होता है और केवल चिपचिपे पदार्थ का उपयोग करते हुए डिक्री योग्य है। इसके अलावा, इसका उपयोग मिठाइयों, फलों और खाद्य सामग्रियों, कैंडी, कंफेक्शनरीज, उपहार, साबुन, अगरबत्ती, सिल्वरवेयर की पैकिंग और रैपिंग में किया जाता है। इसके अलावा, सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाये गये प्रतिबंध और इको-फ्रेंडली उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ने के साथ, इस उत्पाद के नये अनुप्रयोग हाल में शुरू हुए हैं।
12. अलग अलग जी एस एम वाले सी टी एफ के अलग अलग रूप हैं। आवेदक ने दावा किया है कि उपभोक्ता इन उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के अलग अलग ग्रेडों और जी एस एम में कीमत में बहुत अधिक अंतर नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वे इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन रील और सीट फार्म दोनों में करते हैं और उनके पास कोड किये हुए सेलोफेन के उत्पादन की सुविधा है जो निष्क्रिय है। उसी सुविधा का उपयोग कोड किये हुए सी टी एफ के उत्पादन के लिए किया जा सकता है यदि उसकी कोई मांग हो। चूंकि अलग अलग जी एस एम अथवा ग्रेड अथवा गुणवत्ता के विचाराधीन उत्पाद में बहुत अधिक अंतर नहीं है, अतः सभी प्रकारों के सी टी एफ विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा, यह देखा गया है कि यद्यपि कोड किये हुए सेलोफेन का बहुत कम मात्रा में किया गया है। याचिकाकर्ता और फ्यूटामूरा के बीच किया गया बिक्री करार प्राधिकारी के साथ साझा किया गया था लेकिन वह करार के क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादों की सूची के बिना है। चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने याचिकाकर्ता द्वारा किये गये दावे का कोई खंडन नहीं किया है कि

अलग अलग जी एस एम अथवा ग्रेड अथवा गुणवत्ता के विचाराधीन उत्पाद अथवा किसी प्रकार के सी टी एफ में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है, इसलिए सभी प्रकार के सेलोफेन विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत हैं।

13. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म” (सी टी एफ) है। इस उत्पाद को वैश्विक स्तर पर अन्य नामों जैसे “सेलोफेन ट्रांसपेरेंट पेपर”, “सेलोफेन पेपर” “ट्रांसपेरेंट पेपर”, “ट्रांसपेरेंट फिल्म”, “टी पी फिल्म”, “सी टी पी फिल्म” आदि” के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद की पहचान सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 के सीमा शुल्क उपशीर्ष 39207111 और 48239090 के अंतर्गत आयात किये गये उत्पाद के विवरण के आधार पर किया गया था।
14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु और संबद्ध देश से आयात किये गये विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं का प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के मामले में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयात की गई वस्तु इस नियमावली के संदर्भ में समान वस्तु हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानापन के लायक हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के क्षेत्र और तात्पर्य के अंतर्गत संबद्ध देश से आयात किये गये विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है।

### घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

#### **घ. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

15. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग और इसके आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

#### **घ. 2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

16. आवेदक ने घरेलू उद्योग और इसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं :
  - i) यह आवेदन मैसर्स केसोराम रेयन, सिग्नेट इंडस्ट्रीज लिमि. की एक इकाई द्वारा दायर किया गया है।

- ii) आवेदक के अलावा भारत में कोई अन्य उत्पादक नहीं है। वास्तव में, आवेदक न केवल भारत में बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के संपूर्ण भाग में भी समान वस्तु का एक मात्र उत्पादक है।
- iii) आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही इसका भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देश के उत्पादक/ निर्यातक से संबंध है।
- iv) आवेदक भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और इस कारण से इसका कुल भारतीय उत्पादन में 'बहुत बड़ा अनुपात' है और यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

### घ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है :

*‘(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है ।*

18. वर्तमान आवेदन मैसर्स केसोराम रेयान सिग्नेट इंडस्ट्रीज लिमि. की एक इकाई द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही इसका संबंध उसके आयातक अथवा निर्यातक है। आवेदक कंपनी नियम 2(ख) के तात्पर्य के अंतर्गत एक पात्र घरेलू उद्योग है।
19. इस आवेदक का भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है। यह देखा गया है कि इस आवेदक का भारतीय उत्पादन में बड़ा अनुपात है।
20. इस प्रकार प्राधिकारी यह प्रस्ताव करते हैं कि यह आवेदन इस नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा करता है। इसके अलावा, यह आवेदक केसोराम रेयोन से प्रस्ताव है कि वह इस नियमावली के तात्पर्य से घरेलू उद्योग बने।

## गोपनीयता

### ड. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :
- यह कि घरेलू उद्योग ने फ्यूटामुरा के साथ अपने करार जहां यह फ्यूटामुरा के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, के बारे में नहीं बताया। यह सभी अन्य स्रोतों से सामग्री को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहा है।
  - यह कि घरेलू उद्योग ने भारत में एक संभावित संयुक्त उद्यम की तलाश करने के लिए फ्यूटामुरा के साथ अपने समझौता ज्ञापन के बारे में नहीं बताया है। फ्यूटामुरा इस कंपनी में 24 प्रतिशत हिस्से को देख रहा है। घरेलू उद्योग ने अपने तकनीकी सहायता करार के बारे में भी नहीं बताया है।
  - यह कि घरेलू उद्योग को लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार अपनी सूचना का उचित अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना चाहिए।

### ड. 2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

22. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :
- घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि प्रतिवादी द्वारा संदर्भित करार गोपनीय हैं और वे वर्तमान जांच की कार्यवाहियों से संगत नहीं हैं।
  - तकनीकी सहायता करार आवेदक के पूर्व पत्रों में संदर्भित था लेकिन उसकी विस्तार से चर्चा गोपनीयता के कारणों से नहीं की गई थी। इसके अलावा, फ्यूटामुरा के साथ करार उनके अनन्य उत्पादों को दर्शाने तथा उन्हें भारतीय बाजार के लिए विकसित करने के लिए था। यदि ऐसे उत्पादों की निरंतर मात्रा में मांग हो तब आवेदक भविष्य में निवेश के साथ आगे बढ़ेंगे।
  - आवेदक किसी भी स्रोत से सामग्री को अवरुद्ध करने का प्रयास नहीं कर रहा है। आयात किसी भी स्रोत से भारतीय बाजार में लेकिन उचित कीमत पर आता रह सकता है ताकि समान अवसर उपलब्ध हों।

- iv) फ्यूटामुरा के साथ एक संभावित संयुक्त उद्यम की तलाश करने के लिए समझौता ज्ञापन केवल चर्चा के स्तर पर है। इन पक्षकारों के बीच कोई निश्चयात्मक करार पर नहीं पहुंचा गया है।

### ड. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इन विभिन्न पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया था।
24. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है :-

*"7. गोपनीय सूचना :*

*(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*

*(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*

*(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।*

25. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच ऐसे दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को जहां कहीं भी आवश्यक हुआ स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय के रूप में माना है।
26. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की सूचना के विभिन्न पराओं में विस्तृत रूप से हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए समयसीमाओं का उल्लेख किया है। जांच की शुरुआत की सूचना के पैरा 27 में, प्राधिकारी ने सीमा के संबंध में उल्लेख किया कि *‘यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना पूर्ण नहीं हो, तब प्राधिकारी इस नियमावली के अनुसार रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।’* इसके अलावा, सूचना के पैरा 33, प्राधिकारी ने दावा की गई गोपनीयता के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के वास्ते दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के प्राप्त होने से 7 दिनों की समय सीमा निर्धारित की।
27. यह नोट किया जाता है कि प्रतिवादियों ने निर्धारित अवधि के भीतर गोपनीयता के संबंध में अपनी टिप्पणियां नहीं की। इसके अलावा, वे इस तथ्य की भी पुष्टि नहीं कर पाये कि क्या आवेदक के अनुरोधों का अगोपनीय पाठ गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी की व्यापार सूचना के अनुसार नहीं थी।
28. किसी भी मामले में, प्राधिकारी ने आवेदक के आंकड़ों के सत्यापन के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिज्ञात करारों की जांच की। इस जांच के बाद यह पाया गया था कि ये करार वर्तमान जांच से संगत नहीं हैं। इसके अलावा, जबकि आवेदक ने अपने अनुरोधों में इन करारों के मौजूद होने को माना, उनका प्रकटन गोपनीयता की शर्तों द्वारा सीमित था।
29. इसके अलावा, न तो इन करारों की मौजूदगी, संभावित संयुक्त उद्यम और न ही शुल्कों को लगाना भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं के प्रवेश के लिए एक अवरोधक के रूप में कार्य करेगा। जब तक संबद्ध वस्तुओं का आयात अपाटित कीमतों पर किया जायेगा, वे बाजार में प्रवेश करते रहेंगे।

## पाटन का आकलन और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन का निर्धारण

### च. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया।

### च. 2 अन्य उद्योग द्वारा अनुरोध

31. घरेलू उद्योग सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- i) चीन को उन मामलों में प्राधिकारी और अन्य देशों में जांच करने वाले प्राधिकारियों द्वारा लिये गये दृष्टिकोण के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता है।
- ii) प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-1 का पैरा 1-6 का तभी अनुसरण करना चाहिए यदि उत्तर देने वाली चीन की कंपनियां यह सिद्ध करती हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना ऐसी है कि अलग अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा सकता है। यदि उत्तर देने वाली चीन की कंपनियां यह दर्शाने के लिए सक्षम नहीं हो कि उनकी लागत और कीमत से संबंधित सूचना को लिया जा सकता है, निर्दिष्ट प्राधिकारी अलग अलग पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार करेंगे।
- iii) इस नियमावली के अनुबंध-1 पैरा 1 से 6 चीन जन. गण. से आयातों के लिए सामान्य मूल्य की गणना के वास्ते लागू नहीं होती है यदि कोई उत्पादक/ निर्यातक पर्याप्त साक्ष्य नहीं दर्शाता है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अंतर्गत कार्य कर रहा है। परिणामस्वरूप, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के संदर्भ में किया जाना है।
- iv) चीन के उत्पादकों से यह अपेक्षित है कि उन्हें गैर-बाजार अर्थव्यवस्था परिवेश के अंतर्गत कार्य करने वाली कंपनियों के रूप में माना जाये और प्राधिकारी अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए आगे की कार्यवाही कर सकते हैं।

- v) आवेदक ने यूके में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक की बिक्री कीमत के संबंध में सूचना दी, जिस पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया था। इसके अलावा, आवेदक ने यूके से भारत में सी टी एफ की आयात कीमत पर विचार करने का भी प्रस्ताव किया। क्योंकि यह भारत में कुल आयातों का 2.8 प्रतिशत होता है।
- vi) अंत में, आवेदक ने बिक्री के लिए योग के बाद उचित लाभ, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ को जोड़कर घरेलू उद्योग की बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागतों को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित भारत में घरेलू उद्योग की लागतों पर विचार करते हुए उत्पादन की लागत के अनुमान के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना भी की।
- vii) निर्यात कीमत का निर्धारण डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों की अनुपलब्धता को देखते हुए बाजार सूचना स्रोतों से लिए गए आंकड़ों के अनुसार जांच की प्रस्तावित अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए किया गया है। कीमत समायोजनों का दावा निष्पक्ष तुलना के उद्देश्य से परम्परागत आधार पर किया गया है।
- viii) आवेदक ने अध्याय 39 और 48 दोनों के अंतर्गत डी जी सी आई एंड एस और डी जी प्रणाली के साथ उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई निर्यात मात्रा और मूल्य के सत्यापन का अनुरोध किया है।
- ix) इसके अलावा, आवेदक ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि निर्यातकों ने उन सभी खर्चों की सूचना दी है जिनका वहन उनके द्वारा इस उत्पाद का निर्यात करने में किया गया है। इसके अलावा, यह भी नोट किया ही जाना चाहिए कि निर्यातकों से उन सभी खर्चों की सूचना देना अपेक्षित है जो घरेलू और निर्यात किये गये उत्पाद के बीच बिक्री के नियमों और शर्तों के बीच अंतरों को दूर करता हो।
- x) दिये गये सुझाव के अनुसार सामान्य मूल्य की गणना पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन की गणना की गई है। इस प्रकार से गणना किया गया पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है बल्कि बहुत ही अधिक है।
- xi) आवेदक का यह तर्क भी है कि संबद्ध वस्तुओं का भारतीय बाजार में, अंतिम उपभोक्ता घरेलू और आयात किये गये उत्पाद के बीच कीमत में अंतर की सीमा तक लाभ नहीं अर्जित कर सके। संबद्ध आयातों का लगभग पूरा हिस्सा व्यापारियों

द्वारा किया जा रहा है जो अधिकांश ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। ये व्यापारी अपने लिए बहुत अधिक मार्जिन लेने के बाद भी घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं। किसी भी व्यापारी ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। व्यापारियों का भाग नहीं लेना एक जानबूझकर किया गया कार्य है क्योंकि आयातक की प्रश्नावली में उनसे यह इच्छित होगी कि वे अपने पुनः बिक्री कीमतों के बारे में बतायें।

### च. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

32. इस अधिनियम की धारा 9क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

क. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

ख. उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

33. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधियों को यह सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजी की वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना निर्धारित समय अवधि के भीतर उपलब्ध करायें।
34. जांच की शुरुआत के चरण में, प्राधिकारी ने इस सूचना पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जो जांच की शुरुआत करने के लिए उपलब्ध थी और पर्याप्त थी। हालांकि, जांच की शुरुआत के बाद, सामान्य मूल्य के निर्धारण हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त उत्तरों पर विचार करने के बाद किया गया है।
35. निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने इस जांच में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :
- क. मैसर्स शॉनडॉग हेंग्लियन न्यू मेटेरियल्स कं. लिमि. और इसका संबंधित पक्षकार मैसर्स शॉनडॉग आईसीसीएस - हेंग्लियन बायोबेस्ड मेटेरियल्स कं. लिमि.
- ख. शाओसिंग केडे न्यू मेटेरियल कं. लिमि.
36. संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है।

### च. 3.1 सामान्य मूल्य

37. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

*"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :*

(क) *जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:*

(i) *यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के*

संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।
- (iii) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।
- (iv) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।
- (v) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद

15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

i) इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 को निम्नानुसार पढ़ा जाये :

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।

38. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 का पैरा 7 गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य तय करने की तीन पद्धतियां निर्धारित करती हैं : (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा तय किये गये मूल्य के आधार पर (ख) तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत और (ग) कोई अन्य तर्कसंगत आधार पर। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत, सामान्य मूल्य का सर्वप्रथम निर्धारण प्रतिनिधि देश में कीमत अथवा तय किये गये मूल्य के आधार पर अथवा ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत पर सर्वप्रथम निर्धारित किया ही जाना चाहिए। हालांकि, जब

ऐसा आधार संभव नहीं हो तभी प्राधिकारी भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं।

39. यह नोट किया जाता है कि इन पक्षकारों द्वारा पहली और दूसरी पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य तय करने के लिए कोई सत्यापन किये जाने योग्य सूचना/ साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि आवेदक ने एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश अर्थात यूनाटिड किंगडम (यूके) ने प्रचलित कीमत का साक्ष्य प्रस्तुत तो किया ही लेकिन वह यूके में एक उत्पादक अर्थात फ्यूटामुरा केमिकल यूके लिमि. की एक मात्र बीजक में केवल उद्धृत कीमत पर आधारित था। एकमात्र बीजक प्राधिकारी के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण के वास्ते एक संदर्भ के रूप में इसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रतिनिधिक नहीं है।
40. इसके अलावा, ऐसा जाना जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात कम से कम दो एचएस कोडों के अंतर्गत किया गया है जैसा कि पहले ही इसमें ऊपर जांच की गई है और इस कारण से तीसरे देश से अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। एक संबद्ध देश को छोड़कर तीसरे देशों से भारत में बहुत अधिक आयात नहीं हो रहा है। प्राधिकारी के पास उपर्युक्त दो पद्धतियों से सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए कोई सार्वजनिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण से प्राधिकारी ने तीसरी पद्धति अर्थात "भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान के योग्य कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर" चीन जन. गण. से सभी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य तय किया है। प्राधिकारी ने भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य \*\*\* के रूप में तय किया है।

### च. 3.2 निर्यात कीमत

- क) शानडॉंग हैंग्लियन न्यू मेटेरियल्स कं. लिमि. और मैसर्स शानडॉंग आईसीसीएएस - हैंग्लियन बायोबेस्ड मेटेरियल्स कं. लिमि. ("शानडॉंग ग्रुप")
41. इस जांच परिणाम में, शानडॉंग हैंग्लियन न्यू मेटेरियल्स कं. लिमि. और मैसर्स शानडॉंग आईसीसीएएस - हैंग्लियन बायोबेस्ड मेटेरियल्स कं. लिमि. को एक साथ "शानडॉंग ग्रुप" कहा गया है जबकि शानडॉंग हैंग्लियन न्यू मेटेरियल्स कं. लिमि. "शानडॉंग हैंग्लियन" कहा गया है और शानडॉंग आईसीसीएएस - हैंग्लियन बायोबेस्ड मेटेरियल्स कं. लिमि. को "शानडॉंग आईसीसीएएस" कहा गया है।

42. निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शानडॉंग हेग्लियन चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक और निर्यातक है। शानडॉंग हेग्लियन ने जांच की अवधि के दौरान भारत में सीधे तौर पर अपने असंबंधित ग्राहकों को \*\*\* सी टी एफ का निर्यात किया है जिसका सत्यापन किया गया था तथा उसे डीजी प्रणाली डाटाबेस के अनुसार मात्रा और मूल्य के मामले में सही पाया गया था। इसका संबंधित पक्षकार शानडॉंग आईसीसीएस ने भी निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। शानडॉंग आईसीसीएस चीन से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक भी है; हालांकि, इसने संबद्ध वस्तुओं की घरेलू स्तर पर केवल बिक्री की है और या तो भारत को अथवा तीसरे देशों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है।
43. शानडॉंग हेग्लियन ने अपेक्षित रूप में और तरीके से संगत सूचना उपलब्ध कराई है और समुद्री भाड़े, बीमा, अंतरदेशीय भाड़े, पोर्ट प्रभार और बैंक प्रभार के कारण समायोजनों का दावा किया है।
44. प्राधिकारी ने शानडॉंग हेग्लियन द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया है और शानडॉंग हेग्लियन के दावे की जांच की है और तदनुसार, इन दावों की अनुमति दी गई है। तदनुसार, शानडॉंग ग्रुप के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण उचित समायोजनों की अनुमति देने के बाद किया गया है और उसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

**ख) शाओजिंग केडे न्यू मेटेरियल कं. लिमि.**

45. निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केडे चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक और निर्यातक है। केडे ने जांच की अवधि के दौरान भारत में सीधे तौर पर अपने असंबंधित ग्राहकों को \*\*\* सी टी एफ का निर्यात किया है लेकिन सत्यापन किये जाने पर यह देखा गया है कि निर्यातक द्वारा सूचित किये गये मूल्यों और डीजी प्रणाली आंकड़ों में बहुत अधिक अंतर है। इस कारण से, निर्यातक द्वारा सूचित किये गये आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और उस पर विचार नहीं किया गया है।

**ग) असहयोग करने वाले उत्पादक/निर्यातक**

46. प्राधिकरण ने चीन पीआर से सहयोगी उत्पादकों के आंकड़ों के आधार पर आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के बाद चीन पीआर से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य निर्धारित किया है। समुद्री माल ढुलाई, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बीमा, हैंडलिंग

शुल्क, कमीशन और बैंक शुल्क के लिए समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित निर्यात मूल्य नीचे उल्लिखित डंपिंग मार्जिन तालिका में बताया गया है।

### च. 3.3 पाटन मार्जिन का निर्धारण

47. जैसा कि ऊपर में उल्लेख किया गया है निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

#### पाटन मार्जिन तालिका

कंपनी	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन (1यू एस डॉलर = 81.06)			
			भारतीय रु./ किग्रा.	भारतीय रु./ किग्रा.	भारतीय रु./ किग्रा.	यूएस डॉलर/ किग्रा.
इकाई	भारतीय रु./ किग्रा.	भारतीय रु./ किग्रा.	भारतीय रु./ किग्रा.	यूएस डॉलर/ किग्रा.	निर्यात कीमत का %	रेंज
शानडॉंग ग्रुप	***	***	***	***	***	5-20%
अन्य	***	***	***	***	***	60-70%

### छ. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध की जांच

#### छ. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

48. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- i) घरेलू उद्योग को 2017 तक अर्थात एक दशक से अधिक तक विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर 1.05 यूएस डॉलर का पाटनरोधी शुल्क लगाकर आयातों से बहुत अधिक संरक्षण मिला है। इस अवधि के दौरान, यह भारतीय बाजार में एकाधिकारवादी स्थिति प्राप्त करता रहा क्योंकि यह विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र भारतीय उत्पादक था।
- ii) एकमात्र उत्पादक होने के बावजूद, घरेलू उद्योग क्षति की अवधि के पहले भी लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं रहा है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपनी अक्षमताओं के कारण घाटे वाले व्यापार में है।

- iii) याचिकाकर्ता का संयंत्र बहुत पुराना है और इसकी प्रौद्योगिकी बहुत पुरानी है जिसके कारण इस प्रतिष्ठान को क्षति पहुंचाते हुए उत्पादन में अक्षमता को बढ़ाता है, इसके अलावा इसने संयंत्र प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए फ्यूटामुरा के साथ प्रौद्योगिकी सहायता करार किया है।
- iv) केसोराम को वर्ष 2020-21 और 2021-22 में कई बार शटडॉउन का सामना करना पड़ा। इसके फलस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादन में बहुत अधिक गिरावट और आयातों में वृद्धि हुई। इसके बावजूद, केसोराम जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक अपने बाजार हिस्से को प्राप्त करने में सक्षम हुआ।
- v) केसोराम की घरेलू बिक्री क्षति की पूरी अवधि के दौरान उत्पादन की मात्रा के अनुरूप रही है। चूंकि वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन में रूकावट आई कि अतः घरेलू बिक्री में भी स्वाभाविक रूप से गिरावट आई। जैसे ही यह उत्पादन फिर से शुरू हुआ, घरेलू बिक्री में भी वृद्धि हुई।
- vi) केसोराम ने इस आवेदन में कीमत में कटौती के संबंध में कोई आंकड़ा नहीं दिया और ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित अनुरोधों में दिये गये आंकड़े सही नहीं हैं। यद्यपि जांच की अवधि में पहुंच कीमत दुगुनी हो गई। कीमत में कटौती जिसकी सूचना दी गई थी अपरिवर्तित है।
- vii) केसोराम की प्रति इकाई औसत बिक्री कीमत में काफी सुधार देखा गया है और यह सुधार जांच की अवधि के पूर्व के वर्षों में शटडॉउन के बाद भी हुआ है। केसोराम घरेलू तथा निर्यात बिक्री दोनों के लिए अपनी बिक्री कीमत को बढ़ाने में सक्षम था।
- viii) वित्तीय क्षति के दावे के संबंध में, केसोराम का इस आवेदन में अपना अनुरोध यह उल्लेख करता है कि यह संबद्ध देश से निर्यातकों के साथ सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा नहीं करता है बल्कि भारत में व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, जो घरेलू उद्योग से 'मामूली रूप से कम' कीमत पर विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करता है। यह दर्शाता है कि केसोराम का घरेलू कीमत को बढ़ाना जारी है और व्यापारी केसोराम की कीमतों से प्रतिस्पर्धा करते हुए बिक्री करते हैं। वित्तीय क्षति, यदि कोई हो संबद्ध आयातों के कारण नहीं हो रही है।
- ix) केसोराम को वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के दौरान अनेक बार शटडॉउन का सामना करना पड़ा। इन शटडॉउन के कारण विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में रूकावट आई। चूंकि केसोराम विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। अतः

प्रयोक्ता उद्योग इन अवधियों के दौरान पूर्ण रूप से आयातों पर निर्भर हो गये। इसके बावजूद जैसे ही केसोराम ने अपना उत्पादन शुरू किया, यह उत्पादन की मात्रा के अनुरूप अपनी घरेलू बिक्री को बढ़ाने में सक्षम हुआ।

- x) केसोराम ने महामारी के कारण मांग के नहीं होने का अपने रेयोन प्लांट के शटडॉउन का कारण बताया है। हालांकि, इस दावे को सिद्ध नहीं किया गया है। रेयोन विचाराधीन उत्पाद और विस्कोज फिलामेंट यार्न (वी एफ वाई) दोनों के निर्माण में एक आवश्यक कच्चा माल है। प्राधिकारी यह समझ सकते हैं कि वी एफ वाई के संबंध में पाटनरोधी जांच में, जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022 थी, यह वही अवधि थी जिसमें केसोराम को घटती हुई मांग और कच्चे माल के अभाव जैसे कारकों के कारण कथित रूप से बहुत अधिक समय तक शटडॉउन का सामना करना पड़ा। इस जांच में, प्राधिकारी ने नोट किया था कि मांग में जांच की अवधि के बाद वृद्धि हुई।
- xi) प्राधिकारी का अपना जांच परिणाम यह दर्शाता है कि वर्ष 2021-2022 में विस्कोस फिलामेंट यार्न की मांग में न तो बहुत अधिक गिरावट हुई और न ही घरेलू उत्पादकों को किसी मात्रा संबंधी प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ा।
- xii) रेयोन संयंत्र जो विस्कोज फिलामेंट यार्न और विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करता है, ने मूल कंपनी, केसोराम इंडस्ट्रीज लिमि. के द्वारा लिये गये भारी कर्ज में मामूली अंशदान किया। इस कारण से केसोराम द्वारा शटडॉउन के कारण हुई क्षति का एकमात्र कारण महामारी नहीं था बल्कि इस कारण से ऐसा हुआ कि रेयोन संयंत्र लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं था।
- xiii) अपने अनुरोधों में, केसोराम ने उल्लेख किया है कि वर्ष 1986 में स्थापित एक कंपनी, ट्रेवेनकोर रेयोन लिमिटेड एशिया में पहली कंपनी थी जो विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करती थी। हालांकि, कंपनी को 1980 में बंद कर दिया था। आगे का अनुसंधान यह दर्शाता है कि ट्रेवेनकोर रेयोन लागत प्रभावी तरीके से विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने में सक्षम नहीं था।
- xiv) लागत प्रभावी रहने के लिए, केसोराम विचाराधीन उत्पाद का एक अग्रणी वैश्विक उत्पादक, फ्यूटामुरा, जापान से विशेषज्ञ आमंत्रित कर अपनी निर्माण प्रक्रिया को उन्नत बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। 2019 में केसोराम ने फ्यूटामुरा के साथ एक “तकनीकी सहायता करार” पर हस्ताक्षर किया जिसके माध्यम से फ्यूटामुरा

अपनी निर्माण की प्रक्रिया के उन्नयन के लिए केसोराम को तकनीकी जानकारी प्रदान करता है।

- xv) रेयोन और सी टी एफ के लिए गूदा एक ही है। दोनों उत्पादों का निर्माण आवेदक द्वारा किया जा रहा है। रेयोन का निर्माण करने की प्रक्रिया सी टी एफ का उत्पादन करने की प्रक्रिया से अधिक जटिल है लेकिन रेयोन की कीमतें सी टी एफ की कीमतों से 30-40 प्रतिशत कम हैं। इसके अलावा, भारत में रेयोन के दो अन्य भारतीय उत्पादक लाभ कमा रहे हैं।
- xvi) उद्योग का ऊपरी शीर्ष लागत उद्योग मापदंडों की तुलना में अधिक नोट किया गया है।
- xvii) आवेदक ने संबद्ध वस्तुओं के बाजार हिस्से को खत्म करने वाले प्रतिस्थानापन्न के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। बी ओ पी पी फिल्मस, पी वी सी पेपर और बोयोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसे उत्पादों ने विचाराधीन उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है। आवेदक उद्योग मैनुअल पैकिंग प्रोसेस का अभी भी उपयोग करने वाले क्षेत्रों तक बिक्री करने के लिए सीमित है जबकि ऑटोमेशन का उपयोग करने वाले क्षेत्र अपने उत्पादों का उपयोग करने में असमर्थ हैं जो यह दर्शाता है कि बिक्री में कोई कमी एकमात्र चीन से आयात के कारण नहीं हो सकती है।
- xviii) आवेदक को अपनी बिक्री का क्षेत्रवार ब्यौरा देना चाहिए। आवेदक की 70 प्रतिशत बिक्री प्रत्यक्ष है और शेष व्यापारियों के माध्यम से होता है। उनको अपनी प्रत्यक्ष बिक्री के अंतिम उपयोग के बारे में जानकारी नहीं हो सकती है। वे अपने डीलरों/ वितरकों के माध्यम से की गई बिक्री की भी जानकारी होगी। घरेलू उद्योग ने अपनी कीमत सूची के बारे में भी नहीं बताया है। उनके पास अंतिम ग्राहकों और वितरकों के लिए अलग अलग दरें हैं।
- xix) यह कि केसोराम का रेयोन, ट्रासपेरेंट पेपर और केमिकल बिजनेस अंडरटेकिंग 2016 में सिग्नेट इंडस्ट्रीज लिमि. द्वारा \*\*\* करोड़ की राशि के स्लम बिक्री मार्ग द्वारा अधिग्रहित की गई थी। इस अधिग्रहण का विश्लेषण प्राधिकारी द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये विस्कोस फिलामेंट यार्न के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में अपने अंतिम जांच परिणाम में विस्तार से किया गया था क्योंकि केसोराम उस जांच में एक आवेदक था :

- क. जांच के दौरान यह पाया गया था कि दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार निर्धारित परिसंपत्तियों (मूर्त परिसंपत्तियों) का मूल्य मैसर्स केसोराम रेयोन की प्रमाणित बैलेंस शीट के अनुसार \*\*\* करोड़ थी। हालांकि, मैसर्स सिग्नेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बैलेंस शीट उसी तिथि को निर्धारित परिसंपत्तियों का मूल्य \*\*\* करोड़ रुपए दर्शाता है। बाद के विवरण दर्शाते हैं कि इस मूल्य का निर्धारण एक स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी द्वारा किया गया था। चूंकि सिग्नेट इंडस्ट्रीज केसोराम इंडस्ट्रीज लिमि. की \*\*\* प्रतिशत सहायक कंपनी है अतः परिसंपत्तियों के पुनः मूल्यांकन पर प्रतिफल के उद्देश्य से विचार नहीं किया गया था क्योंकि यह सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1955 के अनुबंध-III की प्रवचना करने के समान हो सकता है।
- ख. अनुबंध-III के पैरा 4 में यह उल्लेख है कि इस उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी पर उचित प्रतिफल की अनुमति ब्याज, कोरपोरेट कर और लाभ की वसूली के लिए दी जा सकती है। दोनों याचिकाकर्ता कंपनियों की निवल निर्धारित परिसंपत्तियों को किसी पुनः मूल्यांकन पर विचार किये बिना लिया गया है।
- xx) यह कि घरेलू उद्योग की ऊपरी लागत उद्योग के मानदंडों की तुलना में अधिक नोट किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया था कि वे इन लागतों की त्रुटिरहित तरीके से समीक्षा करें और सही लागत का पता लगाने के लिए दावा की गई लागतों से परिवर्तनीय खर्च की कटौती करें।

## छ. 2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

49. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:
- i) आधार वर्ष (2019-20) में मांग \*\*\* एमटी थी जो कोविड-19 के कारण घटकर \*\*\* एमटी हो गयी और उसके बाद इसमें वृद्धि हुई। जांच की अवधि में, मांग \*\*\* एमटी थी जब इसे ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तब मांग में थोड़ी गिरावट आई है लेकिन हाल की अवधि में पुनः इसमें वृद्धि हो रही है। संबद्ध वस्तुओं के संबंध में

की गई विगत मूल जांच की जांच की अवधि अर्थात् 2005-2005 में मांग 2670 एमटी थी।

- ii) संबद्ध देश से आयातों में शुल्कों को समाप्त किये जाने के बाद क्रमिक रूप से वृद्धि हुई और जांच की अवधि में इसमें तीव्र वृद्धि हुई। चीन जन. गण. से आयातों की मात्रा में जांच की अवधि में बहुत अधिक वृद्धि के साथ क्षति की पूरी अवधि में वृद्धि हुई। विगत मूल जांच की अवधि में आयात की मात्रा 545 एमटी थी। आयात में तब तेजी से गिरावट आई जब शुल्क लागू थे। हालांकि, शुल्कों के समाप्त होने के बाद, आयात की मात्रा फिर से बढ़नी शुरू हो गई और वर्तमान जांच की अवधि में इसमें तीव्र वृद्धि हुई।
- iii) वर्तमान जांच की अवधि में आयात की मात्रा विगत मूल जांच की जांच की अवधि अर्थात् 2004-05 सूचित की गई आयात की मात्रा लगभग दुगुनी है।
- iv) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई जबकि संबद्ध देश के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में चीन के उत्पादकों द्वारा आक्रामक रूप से पाटन किये जाने के कारण वृद्धि हुई।
- v) आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है इसके फलस्वरूप बहुत अधिक हानि हो रही है।
- vi) घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में जांच की अवधि में गिरावट आई यद्यपि आवेदक को अपनी कीमतों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है जो बाद में लाभप्रदता और नकद लाभ में बहुत अधिक गिरावट में परिणत हो गई। जिसमें से सभी आर ओ आई सहित वर्तमान में ऋणात्मक है।
- vii) मालसूची में पिछले वर्ष से जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई।
- viii) पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि बहुत अधिक भी है।
- ix) संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई और परिणाम के तौर पर घरेलू उद्योग को बिक्री की मात्रा में हानि हुई। घरेलू उद्योग को उत्पादन और क्षमता के उपयोग में गिरावट हुई।
- x) आयातों के कारण घरेलू कीमतों में कटौती हो रही थी और घरेलू बाजार में कीमत हास हो रही थी। इसके फलस्वरूप लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल में बहुत अधिक गिरावट आई।

- xi) चीन के आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को बाजार हिस्से की क्षति हुई।
- xii) मात्रा और कीमत के मापदंडों दोनों में घरेलू उद्योग की ऋणात्मक वृद्धि पाटित आयातों के कारण हुई है।
- xiii) चीन जन. गण. के अलावा, संबद्ध वस्तुओं का आयात भारत में यूके से बहुत अधिक उच्चतर कीमतों पर हो रहा है।
- xiv) घरेलू उद्योग को मांग में संभावित संकुचन के कारण जांच की अवधि में क्षति नहीं हुई है। वास्तव में जांच की अवधि में मांग आधार वर्ष में मांग के तीन गुणा से अधिक है।
- xv) विचाराधीन उत्पाद के संबंध में उपभोग के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- xvi) घरेलू उद्योग के पास विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी में संभावित विकास घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता था। आवेदक निर्माण की प्रक्रिया का उन्नयन सिर्फ इस कारण से करने के लिए सतत् प्रयास नहीं करते हैं कि आवेदक की प्रौद्योगिकी अप्रचलित है बल्कि इस कारण से सतत् प्रयास करते हैं कि यह इसकी कार्यक्षमता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से है।
- xvii) व्यापार संबंधी कोई प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धति नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते थे।
- xviii) यूके में घरेलू बिक्री और यूके से यूरोपीय यूनियन के अन्य सदस्यों को निर्यात बिक्री दोनों के लिए बीजकों से, यह स्पष्ट है कि वैश्विक स्तर पर सी टी एफ की कीमतें भारत में उनकी कीमतों से उच्चतर है। आवेदक की लागत उतनी ही प्रतिस्पर्धी है जितना की यूके में उत्पादकों की। हालांकि, आवेदक उतनी कीमतें प्राप्त करने से वंचित है जितनी यूके के उत्पादक प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि यह चीन से पाटित आयातों जो भारतीय बाजार में आवेदक की लागत के एक अंश पर प्रवेश कर रहे हैं, के कारण लागत से कम पर बिक्री करने के लिए बाध्य हैं।
- xix) विगत जांचों और अवधि जिसके दौरान शुल्क लागू थे के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि डब्ल्यू टी ओ करार यह अधिदेश देता है कि पाटनरोधी शुल्क उतने समय तक और आवश्यक सीमा तक लागू रहेंगे। कहीं भी कानून इस शुल्क

की अधिकतम अवधि को निर्धारित नहीं करता है। इसके अलावा, विगत में इन शुल्कों को लगाये जाने के तत्काल बाद, चीन से आयातों में गिरावट आई और आवेदक ने लाभ अर्जित करना शुरू किया। आवेदक शुल्क लगाये जाने के बाद कुछ समय से लाभ अर्जित करते रहे थे, तब हालांकि, शुल्क के समाप्त होने के बाद, पाटित कीमतों पर आयातों में वृद्धि होना शुरू हो गया और आवेदक का प्रदर्शन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। आवेदक ने फिर भी प्रतिस्पर्धी रहने का प्रयास किया और केवल प्राधिकारी से शुल्कों के समाप्त होने के बहुत बाद संपर्क किया क्योंकि चीन के आयातों ने घरेलू उत्पादन को कायम नहीं रखने योग्य बना दिया। हितबद्ध पक्षकारों के लिए यह तर्क देने का कोई आधार नहीं है कि आवेदक को आंतरिक अक्षमताओं अथवा उच्च लागत, निर्धारित लागत अथवा आवेदक के नियंत्रण में कुछ अन्य कारकों के कारण क्षति होती रही थी।

- xx) प्रतिवादी के आवेदक की कार्यक्षमता और क्षति की पूरी अवधि के दौरान हानि के संबंध में तर्क के बारे में, यह अनुरोध किया जाता है कि आयातों के कारण केवल जांच की अवधि में ही नहीं बल्कि क्षति की पूरी अवधि के दौरान क्षति हो रही थी। आयात की मात्राओं में जांच की अवधि में तीव्र वृद्धि के साथ शुल्क के समाप्त होने के साथ ही वृद्धि होनी शुरू हो गई। आवेदक क्षति की पूरी अवधि के दौरान घाटे में था क्योंकि आयात पूरी अवधि के दौरान बहुत अधिक था। इन घाटों में आयातों में बहुत अधिक वृद्धि के साथ जांच की अवधि में तीव्र वृद्धि हुई है।
- xxi) जहां तक आवेदक को क्षति का कारण शटडॉउन था और इसके कार्यनिष्पादन में बाद में सुधार हुआ, के तर्क के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि शटडॉउन पूर्व के वर्षों में कोविड-19 के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों के कारण हुआ था और बाद में यह कोविड-19 के कारण अनावश्यक वस्तुओं की आवा-जाही पर लगाये गये प्रतिबंधों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था। शटडॉउन की अवधि एक असामान्य अवधि है जिसके लिए आवेदक का कार्यनिष्पादन मानक के अनुसार किये जाने की आवश्यकता है। आवेदक शटडॉउन के कारण क्षति का दावा नहीं कर रहे हैं। जांच की अवधि में इसके कार्यनिष्पादन की तुलना पूर्व और आधार वर्ष में दोनों मानकीकृत प्रदर्शन से किये जाने की आवश्यकता है। आवेदक के कार्यनिष्पादन में आधार वर्ष और मानकीकृत पूर्व वर्ष दोनों की तुलना में गिरावट आई है।
- xxii) जहां तक प्रतिवादी का आवेदक की शटडॉउन की अवधि के दौरान मांग आपूर्ति में अंतर को पूरा करने के लिए आयात को बढ़ाये जाने के तर्क का प्रश्न है, यह नोट किया जा सकता है कि यदि मांग आपूर्ति अंतर को पूरा करने के लिए 2021-22 में

आयात की मात्रा में वृद्धि भी हुई, फिर भी जांच की अवधि में 536 एमटी से 1077 एमटी तक आयातों के तेजी से बढ़ने का कोई कारण नहीं था जब आवेदक के उत्पादने में कोई रूकावट नहीं आई।

- xxiii) प्रतिवादी के इस तर्क के संबंध में की आवेदक बाजार में कीमत को प्रभावित करता है, आयात कीमत और पुनः बिक्री कीमत के बीच अंतर पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इन व्यापारियों ने बहुत अधिक लाभ प्राप्त किया है और आवेदक की कीमतों में कटौती की है। आवेदक की बिक्री कीमत में कोई भी वृद्धि इसकी लागत में वृद्धि के कारण हुई है जो बिक्री कीमत में वृद्धि से बहुत अधिक है। साथ ही, आयात कीमत उत्पादन लागत का एक अंश है। आवेदक को उन कीमतों का अनुसरण करना है जो इनके प्रतिस्पर्धियों अर्थात् चीन के आयातों के द्वारा पेशकश की जा रही है।
- xxiv) प्रतिवादी ने वर्तमान जांच और चीन जन. गण. से वी एफ वाई के आयातों के संबंध में जांच के बीच तुलना की है। यह नोट किया जा सकता है कि आवेदक वी एफ वाई मामले में घरेलू उद्योग ही नहीं था और इस कारण से प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग से संगत मापदंडों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड नहीं किये। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान मामले से संबंधित तथ्यों पर विचार करें।
- xxv) जहां तक प्रतिवादी का आवेदक के संबंधित प्रभाग द्वारा लिये गये कर्ज में मामूली अंशदान किये जाने और आवेदक के घाटे में होने के तर्क का प्रश्न है, यह अनुरोध किया जाता है कि जबकि आवेदक ने अपनी मूल कंपनी और वित्तीय संस्थाओं दोनों से कर्ज उधार लिया है, इसने ऋण पर ब्याज का भुगतान करने में कभी भी चूक नहीं की है।
- xxvi) प्रतिवादी ने संबद्ध वस्तुओं के एक उत्पादक ट्रानवनकोर रेयोन लिमि. जिसने 1980 के दशक में शटडॉउन किया के बीच तुलना भी की है, यह अनुरोध किया जाता है कि ट्रानवनकोर रेयोन लिमि. द्वारा 1983 में सामना की गई प्रतिकूल प्रभावों को सीधे तौर पर वर्तमान मामले पर लागू नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादियों द्वारा विश्वास किए गए तथ्य अपने आप में यह विश्वास उल्लेख करता है कि *“कंपनी को उद्योग में मंदी और कोयले से चलाये जा रहे ब्वायलर की संस्थापना में विलंब के कारण 60 से 100 प्रतिशत विद्युत कटौती के कारण हानि होना जारी रहा।”*
- xxvii) प्रतिवादी के दोनों के लिए मुख्य कच्चा माल लकड़ी का गूदा होने के बावजूद सी टी एफ की बिक्री कीमत से रेयोन की उसकी बिक्री कीमत कम होने के संबंध में दिये

गये तर्क के बारे में यह अनुरोध किया जाता है कि सी टी एफ और रेयोन यार्न दो अलग अलग उत्पाद हैं। रेयोन की कीमतें रेयोन के डेनियर पर निर्भर हैं। कुछ कम डेनियर ग्रेड की बिक्री सी टी एफ की कीमतों के समतुल्य अथवा उससे अधिक कीमत पर की जाती है।

- xxviii) प्रतिवादी के इस तर्क के संबंध में की संबद्ध वस्तुओं का बाजार हिस्सा प्रतिस्थानापन्न द्वारा ले लिया गया है। यह अनुरोध किया जाता है कि प्रतिस्थानापन्न में संबद्ध वस्तुओं के बाजार को खत्म नहीं कर रहा है। संबद्ध वस्तुओं के लिए बायोग्रेडेबल, होम कम्पोस्टेबल, स्टेटिक विद्युत प्रभार से रहित जो अन्यथा आग के खतरे को उत्पन्न करते होने जैसे इसके अंतरनिहित गुणों के कारण कोई सही प्रतिस्थानापन्न नहीं है। इसके अलावा, आवेदक को प्रतिस्थानापन्न की उपलब्धता के कारण क्षति नहीं हो रही है। यद्यपि बी ओ पी पी की उपलब्धता संबद्ध वस्तुओं की कीमतों के लगभग एक चौथाई होने के कारण, प्लास्टिक ने विगत में कुछ मांग बढ़ गई थी, विश्व भर की सरकारों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने तथा उपभोक्ताओं के प्लास्टिक के नकारात्मक प्रभाव की बढ़ती हुई जागरूकता के साथ, सी टी एफ की मांग फिर से बढ़ रही है। वर्तमान क्षति इस कारण नहीं हुई है।
- xxix) प्रतिवादी ने उल्लेख किया है कि प्रतिस्थानापन्न में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसे उत्पाद शामिल हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि जबकि ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां प्रयोक्ताओं ने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उपयोग करने का दावा किया है, वास्तव में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसी कोई प्लास्टिक सामग्री नहीं है। इस प्रकार की सामग्री बी ओ पी पी फिल्म भी है जिसे केवल बायोडिग्रेडेबल सामग्री के साथ कोड किया जाता है। इस कारण से यह कोडिंग मात्र है जो बायोडिग्रेडेबल है और न कि अपने आप में फिल्म। जहां तक ऑटोमेशन कार्य के लिए उपयुक्त रील का संबंध है, संबद्ध वस्तु का अभी भी प्रमुख रूप से उपयोग फायर क्रेकर उद्योग में किया जाता है, जिस पर आग के खतरे को देखते हुए ऑटोमेशन का उपयोग करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।
- xxx) प्रतिवादियों ने अनुरोध किया है कि आवेदक ने अपने अधिकांश उत्पाद की बिक्री सीधे तौर पर उपभोक्ताओं की है और उसे इस बात की जानकारी नहीं हो सकती है कि अंतिम उपभोक्ता कौन है। यह अनुरोध किया जाता है आवेदक ने जांच की अवधि में सीधे तौर पर अंतिम उपभोक्ता को अपने उत्पाद का केवल एक अंश बेचा है। इसकी अधिकांश बिक्री वितरकों के माध्यम से की गई है। आवेदक द्वारा जांच

की अवधि में बेची गई कुल \*\*\* एमटी में से, केवल \*\*\* एमटी की बिक्री सीधे तौर पर की गई थी। किसी भी मामले में, संबद्ध वस्तुओं की अधिकांश मात्रा फायर क्रेकर उद्योग को बेची गई जाती है जिसे फायर क्रेकर की पैकिंग और रैपिंग के लिए सी टी एफ का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि इसका आसानी से उपयोग चिपचिपा पदार्थों का उपयोग करते हुए क्रेकर्स को पैक और रैप करने के लिए किया जा सकता है और यह आग/ सुरक्षा के खतरे को उत्पन्न करेगा जो प्लास्टिक की हीट सीलिंग से होगी।

xxxi) यह स्पष्ट किया जाता है कि संबद्ध मामले में आवेदक की परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है। यह एक तीव्र गिरावट वाली बिक्री थी। जहां तक आवेदक का संबंध है, इसने कुछ राशि के भुगतान पर उक्त निर्माण सुविधाओं की खरीद की है। आरंभ में, कृपया इस तथ्य पर विचार करें कि वर्तमान मामले में दो अलग अलग कानून प्रतिष्ठान शामिल हैं। दोनों कानूनी प्रतिष्ठान देश में सभी विनियामक आवश्यकताओं के अध्यक्ष हैं। परिसंपत्तियों के पुनः मूल्यांकन के मामले में, कानूनी प्रतिष्ठान वही रहता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह परिसंपत्तियों के पुनः मूल्यांकन के लिए मौलिक पूर्व शर्त है। खरीद बिक्री के मामले में, यह खरीद की राशि है जो क्रेता और विक्रेता के खाता बुक में परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए आधार बनता है। वर्तमान मामले के तथ्य चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये "60 डेनियर से अधिक के विसकोज रेयोन फिलामेंट यार्न" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच तथा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये "विस्कोस रेयोन फिलामेंट यार्न" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांचों जिसमें भारतीय रेयोन ने ग्रासीम को इन परिसंपत्तियों की बिक्री की थी, के तथ्यों से बहुत तुलनीय हैं और उसे प्राधिकारी द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या 6/26/2020 - डी जी टी आर के माध्यम से जारी किये गये अंतिम जांच परिणामों और दिनांक 29 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या 6/06/2023 के माध्यम से जारी किये गये अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। यह निर्णय उसी उत्पाद में 2018 के बहुत बाद निर्णायक समीक्षा अंतिम जांच परिणाम में है। चूंकि ये 2021 और 2023 जांच इस मुद्दे पर बिलकुल हाल की जांच है, इन निर्णयों को पूर्व की जांचों के बजाय संगत और उपयुक्त माना जाना चाहिए। यह भी नोट करना संगत है कि 2018 के जांच परिणामों के समय, डी जी टी आर ने समझा था कि इन परिसंपत्तियों का कुछ पुनर्मूल्यांकन हुआ था। वास्तव में, वर्तमान मामले में परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ है। बिक्री और खरीद हुई है और वह

भी कुछ राशि के लिए। 2018 के वी एफ वाई के मामले में मुख्य मुद्दा पाटनरोधी शुल्क के अपेक्षाकृत अधिक अवधि तक लागू रहने की थी।

xxxii) यह भी अनुरोध किया जाता है कि अनेक जांचें हैं जहां पक्षकार पुरानी मशीनरी की खरीद करते हैं। कभी कभी संपूर्ण निर्माण संयंत्र का आयात यूरोप/ जापान से किया जाता है। प्राधिकारी ने कभी भी ऐसी खरीद पर प्रश्न नहीं उठाया और इन परिसंपत्तियों की खरीद मूल्य की अनुमति थी। इस कारण से प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि आवेदक ने निर्माण सुविधा की खरीद की और जैसा कि ऊपर में उल्लेख किया गया है हाल की जांचों अर्थात् 2021 और 2023 के जांच परिणामों में अनुसरण की गई सिद्धांत के अनुरूप परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ था।

#### छ. प्राधिकारी द्वारा जांच

50. अनुबंध-II के साथ पठित इस नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है कि किसी क्षति के निर्धारण में उन कारकों जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शा सकते हैं की जांच पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों पर इस नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।
51. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों को नोट किया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों पर विधिवत विचार करने के बाद इस नियमावली के अनुसार विभिन्न मापदंडों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण यहां

आगे संगत पैराओं में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान देता है।

52. पाटनरोधी शुल्क इस तथ्य का निर्धारण करने के बाद 2006 में संबद्ध वस्तुओं पर लगाया गया था कि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी। इन शुल्कों को आगे बढ़ाया गया था क्योंकि पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना का साक्ष्य था। यह नोट किया जाता है कि आवेदक को पाटन से राहत मिली और इसके कार्यनिष्पादन में शुल्कों को लगाये जाने के बाद सुधार हुआ। ये शुल्क 2017 तक लागू थे। यह नोट किया जाता है कि शुल्क के समाप्त होने के बाद, संबद्ध आयातों की मात्रा में बढ़ोतरी शुरू हो गई और उसके परिणामस्वरूप आवेदक के कार्यनिष्पादन पर प्रभाव पड़ा था। इस तर्क के संबंध में कि आवेदक को पर्याप्त संरक्षण मिला है, यह नोट किया जाता है कि कानून अधिकतम अवधि का निर्धारण नहीं करता है जिसके दौरान शुल्क लगाया जा सकता है। किसी भी मामले में, आवेदक ने प्राधिकारी से यह उल्लेख करते हुए पूर्व के शुल्कों के समाप्त होने से 5 वर्षों से अधिक के बाद संपर्क किया है कि आयात घरेलू उत्पादन को कायम नहीं रखने योग्य बना रहा है। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क अनुचित आयातों के विरुद्ध उपचार के रूप में और न कि घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण प्रदान के लिए लगाया गया था।
53. आवेदक की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बिक्री की प्रतिशतता के संबंध में, प्राधिकारी आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये बिक्री के आंकड़ों के आधार पर यह नोट करते हैं कि आवेदक ने अपने अधिकांश उत्पादों को व्यापारियों के माध्यम से बेचा है तथा अधिकांश आयात आयातक व्यापारियों के माध्यम से भी हुआ है। इस कारण से, विचाराधीन उत्पाद के अंतिम उपयोग का सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण किया जा सकता है और उसे व्यापारियों के क्षेत्रीय उपस्थिति के आधार पर देखा जा सकता है। नीचे दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि आयातों में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में भी आधार वर्ष के दौरान जांच की अवधि तक (2022-23) वृद्धि हुई है। यदि हम विचाराधीन उत्पाद के उपयोग के प्रतिनिधिक संकेतक के रूप में इन क्षेत्रों को देखें तब यह फायर क्रेकर तथा गैर-फायर क्रेर उद्योगों में विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए उपयोग को इंगित करता है।

वर्ष	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023
आयात का सकल योग किग्रा. में	325,262	353,996	525,863	1,085,730
तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में	***	***	***	***

आयात				
अन्य क्षेत्रों में आयात	***	***	***	***
अन्य क्षेत्रों में आयात का %	***	***	***	***

54. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया है, की जांच और उसका निवारण निम्नानुसार किया जाता है।

### छ. 3.1 मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन

55. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग अथवा स्पष्ट खपत को आवेदक की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। विचाराधीन उत्पाद की मांग निम्नानुसार है :

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
आवेदक की घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
आवेदक की घरेलू बिक्री	%	***	***	***	***
आधार वर्ष से प्रवृत्ति		100	63	104	59
संबद्ध देश से आयात	एमटी	324	350	518	1041
संबद्ध देश से आयात	कुल मांग का %	***	***	***	***
आधार वर्ष से प्रवृत्ति		100	108	160	321
अन्य देशों से आयात	एमटी	1	3	7	30
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
आधार वर्ष से प्रवृत्ति		100	3	7	30
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
आधार वर्ष से प्रवृत्ति		100	71	114	108

56. उपर्युक्त से यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। आधार वर्ष अर्थात 2019-20 में, मांग \*\*\* एमटी थी जबकि मांग में गिरावट केवल वर्ष 2020-21 में दर्ज की गई थी, उसका कारण कोविड-19 महामारी है। जांच की अवधि में मांग में सुधार हुआ और ऐसा देखा जाता है कि इसमें वृद्धि हुई है।

57. यह भी देखा जाता है कि जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित अधिकांश विचाराधीन उत्पाद फायर क्रेकर उद्योग की मांग को पूरा करता है लेकिन अन्य हितबद्ध पक्षकारों के ये दावे कि प्रतिस्थानापन्न विचाराधीन उत्पाद के बाजार को समाप्त कर रहे हैं, से याचिकाकर्ता द्वारा इनकार किया गया था। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने दावे की पुष्टि करने के लिए कोई साक्ष्य/ औचित्य उपलब्ध नहीं कराया है।
58. इस कारण से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इन आयातों द्वारा मुख्य रूप से उसी बाजार की मांग को पूरा किया जा रहा है।

### छ. 3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभावी

#### क) पूर्ण और सापेक्ष रूप में आयात

59. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस तथ्य पर विचार करें कि क्या या तो पूर्ण रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डी सी सी आई एंड एस के लेन-देन वार आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध वस्तुओं की आयात की मात्रा और क्षति की जांच की अवधि के दौरान उसका हिस्सा नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
<b>आयात की मात्रा</b>					
चीन जन. गण. से आयात	एमटी	324	350	518	1041
अन्य देशों से आयात	एमटी	1	3	7	30
कुल आयात	एमटी	325	353	525	1071
<b>निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध देशों से संबद्ध आयात</b>					
कुल आयात	%	99.69	99.15	98.67	97.20
भारतीय उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
भारतीय उत्पाद	एमटी	***	***	***	***
भारतीय मांग	एमटी	***	***	***	***

कुल मांग (घरेलू बिक्री)	एमटी	***	***	***	***
----------------------------	------	-----	-----	-----	-----

60. यह देखा गया है कि :

- क. चीन से आयातों में क्षति की पूरी अवधि के दौरान विशेष रूप से जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 300 से अधिक प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।
  - ख. संबद्ध देश से आयात क्षति की पूरी अवधि के दौरान भारत में कुल आयातों का लगभग पूरा हिस्सा और जांच की अवधि में 97 प्रतिशत हिस्सा होता है।
  - ग. आयात भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक रहा।
  - घ. विचाराधीन उत्पाद का आयात बहुत अधिक है और यह भारत में संबद्ध वस्तुओं की लगभग 54 प्रतिशत मांग को पूरा करता है।
  - ङ. संबद्ध आयातों ने समग्र घरेलू मांग को पूरा करने की आवेदक के पास पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद भारतीय बाजार के 54 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है। चीन के आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में बहुत तीव्र रही थी। कुल मांग में वृद्धि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 8 प्रतिशत है जबकि कुल आयातों में आधार वर्ष से 300 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।
61. प्रतिवादियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक के प्रचालनों के बंद होने की अवधि के दौरान देश में मांग-आपूर्ति में अंतर को दूर करने के लिए आयात किये गये थे। हालांकि प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2021 - 2022 से जांच की अवधि तक 524 एमटी से 1071 एमटी तक आयात की मात्राओं में आगे वृद्धि हुई थी, जब आवेदक प्रचालन में था।
62. प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि क्षति की अवधि के दौरान अधिक रहने के अलावा विचाराधीन उत्पाद के आयात में पूर्ण रूप में जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई। सापेक्ष रूप में आयातों के संदर्भ में ऐसा देखा गया है कि वह क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक रही है।

**छ. 3.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव**

63. इस नियमावली के अनुबंध 11 (ii) के संदर्भ में, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाने वाली है जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती।
64. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती और कीमत हास/ न्यूनीकरण, यदि कोई हो के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

**क) कीमत में कटौती**

65. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, इस तथ्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों का प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमत पर दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाने वाली है, जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। उसकी जांच नीचे तालिका में की गई है :

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
आयात का पहुंच मूल्य	रु./ एमटी	***	***	***	***
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ एमटी	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रु./ एमटी	***	***	***	***
पहुंच मूल्य का %		***	***	***	***
रेंज		150-200	50-150	0-50	50-150

66. यह देखा गया है कि कीमत में कटौती क्षति की पूरी अवधि के दौरान सकारात्मक और बहुत अधिक है। औसत आयात कीमते 2019-20 से जांच की अवधि तक बढ़ती रही। इसके

बावजूद, विचार की गई क्षति की पूरी अवधि के दौरान संबंधित संबद्ध देश से औसत आयात कीमते भारतीय उत्पादक की कीमतों से निरंतर रूप से कम रही थी।

**ख) कीमत हास अथवा न्यूनीकरण**

67. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के कीमत हास और न्यूनीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत से की है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	POI
बिक्री की लागत	रु./ एमटी	***	***	***	***
वर्ष दर वर्ष प्रवृत्ति		100	110	70	146
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ एमटी	***	***	***	***
वर्ष दर वर्ष प्रवृत्ति		100	100	97	143

68. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई। हालांकि, लागत में वृद्धि बिक्री कीमत में वृद्धि के स्तर से अधिक थी। आयात की कीमत जांच की अवधि में उत्पादन की लागत से आधे से कम है। संबद्ध आयात यदि वह लागत से कम कीमत पर भी हुआ है, तब वह घरेलू उद्योग को लागत से बहुत कम इसकी बिक्री कीमत रखने के लिए घरेलू उद्योग को बाध्य किया। इस प्रकार यह देखा जाता है कि आयातों ने भारतीय बाजार में कीमत न्यूनीकरण की स्थिति पैदा की है।

**छ. 3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड**

69. इस नियमावली के अनुबंध-11 में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन के मार्जिन का आकार को प्रभावित करने वाले कारकों; नकदी के प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों का वस्तुपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति संबंधी विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण इसमें नीचे किया गया है।

70. जांच की अवधि में आवेदक के प्रदर्शन की तुलना आधार वर्ष में इसके प्रदर्शन से किया गया है और इसका कोविड-19 के कारण 2020-2021 और 2021-2022 के दौरान असामान्य स्थिति होने के कारण प्रदर्शन सामान्य रहा और अनावश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण सामान्य रहा।

**क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री**

71. घरेलू उद्योग क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री के संबंध में प्रदर्शन निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22 (सामान्यीकृत)	जांच की अवधि
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	83	100	100
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	69	100	70
उत्पादन की क्षमता	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	82	100	70
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	63	104	59

72. यह देखा गया है कि :

- क. विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति की अवधि विशेषकर जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- ख. घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही है। आवेदक के पास देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए समग्र मांग पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।
- ग. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में आधार वर्ष और पिछले वर्ष दोनों की तुलना में जांच अवधि में काफी गिरावट आई है।

**ख) मांग में बाजार हिस्सा**

73. बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दिया गया है :

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22 (सामान्यीकृत)	जांच की अवधि
-------	------	---------	---------	--------------------------	-----------------

आवेदक की घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
आवेदक*	%	***	***	***	***
आधार वर्ष से प्रवृत्ति		100	63	104	59
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	324	350	518	1041
संबद्ध देशों से आयात	कुल मांग का %	***	***	***	***
आधार वर्ष से प्रवृत्ति		100	108	160	321
अन्य देशों से आयात	एमटी	1	3	7	30
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
आधार वर्ष से प्रवृत्ति		100	3	7	30
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
आधार वर्ष से प्रवृत्ति		100	71	115	108

74. यह देखा गया है कि संबद्ध देश के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। आवेदक के मांग में हिस्सा आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में क्षति की अवधि के दौरान सतत् रूप से कम हुआ है। आवेदक के भारत में एकमात्र उत्पादक होने और मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए इसके पास पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग का भारतीय बाजार में मुश्किल से \*\*\* प्रतिशत का हिस्सा है।

75. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि आवेदक ने पूर्व वर्ष में शटडॉउन के बावजूद जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक बाजार हिस्सा प्राप्त कर लिया, यह नोट किया जाता है कि आवेदक के प्रदर्शन की तुलना आधार वर्ष और पूर्व दोनों से किया गया है। जैसा कि ऊपर में देखा गया है, आवेदक के बाजार हिस्से में आधार वर्ष और जांच की अवधि में मांग में बहुत अधिक वृद्धि के बावजूद पूर्व वर्ष में प्रदर्शन दोनों की तुलना में गिरावट आई है।

ग) लाभप्रदत्ता, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर आय

76. घरेलू उद्योग की क्षति की अवधि के दौरान लाभ, लाभप्रदत्ता, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर आय का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
चीन से	रु./ एमटी	126994	183344	243838	309441

आयात कीमत					
बिक्री की लागत	रु./ एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	110	70	146
बिक्री मूल्य	रु./ एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	100	96	138
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	रु./ एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		-100	-214	193	-232
लागत के % के रूप में पीबीटी	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		-100	-189	274	-158
नकद लाभ	रु./ एमटी	-17955	-53184	96778	-37062
प्रवृत्ति		-100	-296	539	-206
आर ओ सी ई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	29	301	4

77. यह देखा गया है कि :

क. आवेदक की बिक्री की लागत में वर्ष 2021-22 को छोड़कर क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है, जिसमें आवेदक की बिक्री की लागत में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई। हालांकि, बिक्री की लागत में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 46 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। आवेदक वर्ष 2021-22 के आधार वर्ष से अपने उत्पाद की बिक्री उस कीमत पर करता रहा है जो बिक्री की इसकी लागत से बहुत कम है। आवेदक ने यह बताया है कि कम कीमत पर आयातों के मौजूद होने के कारण, घरेलू उद्योग बिक्री की अपनी लागत को भी वसूलने में सक्षम नहीं रहा है। आवेदक को आधार वर्ष से हानि होती रही है। हालांकि, ये हानि जांच की अवधि में और बढ़ गई है।

ख. आवेदक को 2019-20 और 2020-21 में भी बहुत अधिक हानि हुई। आधार वर्ष में जबकि आयात कीमत न्यूनतम थी, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत भी क्षति की अवधि में न्यूनतम थी। यद्यपि पहुंच मूल्य में 2019-20 की तुलना में जांच की अवधि में सुधार हुआ है, यह आवेदक की बिक्री की लागत से बहुत हद तक कम है।

वास्तव में, आयात कीमत और बिक्री की लागत में अंतर जांच की अवधि में सबसे अधिक रहा है और इस प्रकार फलस्वरूप जांच की अवधि में इतनी अधिक हानि हुई है। आवेदक का पी बी आई टी और नकद लाभ की वही प्रवृत्ति रही है जो लाभ की प्रवृत्ति रही है।

ग. क्षति की अवधि के दौरान मांग में वृद्धि के और घरेलू उद्योग की बिक्री में परिणामी वृद्धि के बावजूद, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई।

#### घ. मालसूची

78. क्षति की अवधि के दौरान और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति से संबंधित आंकड़े नीचे तालिका में दिये गये हैं :

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	32	14	10
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	45	30	336
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	35	18	89

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची के स्तर में 2021-22 से जांच की अवधि तक बहुत अधिक वृद्धि हुई है। मालसूची में ऐसी वृद्धि जांच की अवधि में बहुत अधिक है। जब आयात की मात्राओं ने भी बहुत अधिक वृद्धि दर्शायी है। जांच की अवधि के अंत में अंतिम भंडार जांच की अवधि में प्रारंभिक भंडार से 10 गुणा अधिक था।

#### ड) रोजगार, मजदूरी एवं उत्पादकता

80. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है :

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	79	22	80
वेतन और मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***

प्रवृत्ति		100	81	34	106
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी / प्रतिदिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	69	100	70

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में क्षति की अवधि के दौरान कमी आई है। भुगतान किये गये वेतन ने वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा उत्पादकता ने उत्पादन के अनुरूप गिरती हुई प्रवृत्ति को भी दर्शाया है।

### च) वृद्धि

82. याचिकाकर्ता की वृद्धि के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
क्षमता का उपयोग	%	-7.89	7.89	-13.58
उत्पादन	%	-31	46	-30
बिक्री	%	-37	65	-44
औसत मालसूची	%	-65	-48	388
प्रति इकाई लाभ	%	114	-190	-220
नकद लाभ	%	86.47	-401.07	-121.52
निवेश पर प्रतिफल	%	-5.96	22.74	-24.77

83. यह देखा गया है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की वृद्धि को मात्रा और कीमत दोनों मापदंडों के मामले में प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

### छ) पाटन का आकार और पाटन मार्जिन

84. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि बहुत अधिक भी है।

### छ. 3.5 कारणात्मक संबंध की जांच

#### गैर-आरोपण विश्लेषण (अन्य कारक)

85. पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध II के पैरा (v) में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य को सिद्ध करें कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है। साथ ही प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों के अलावा उन कारकों की जांच

करें जो घरेलू उद्योग के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता था ताकि अन्य ज्ञात कारकों के द्वारा हुई क्षति के लिए संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाये। इस संबंध में संगत कारकों में पाटित कीमतों पर न बेची गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा, मांग में संकुचन अथवा उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां, प्रौद्योगिकी में बदलाव, घरेलू उद्योग का निर्यात कार्यनिष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। उपर्युक्त कारकों की जांच नीचे की गई है :

**क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें**

86. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों का प्रायः पूरा हिस्सा संबद्ध देश से भारत में हो रहे हैं। किसी भी मामले में, गैर-संबद्ध आयातों की मात्रा न केवल जांच की अवधि में कम है बल्कि इसकी कीमत चीन जन. गण. से आयात कीमत से बहुत उच्चतर है। इस कारण से, अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति का कारण नहीं है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
<b>आयात मात्रा</b>					
संबद्ध देश	एमटी	324	350	518	1041
अन्य देश	एमटी	1	3	7	30
<b>कुल</b>	<b>एमटी</b>	<b>325</b>	<b>353</b>	<b>525</b>	<b>1071</b>
संबद्ध देश (सीआईएफ कीमत)	रु./ एमटी	1,26,994	1,83,344	2,43,838	3,09,441
अन्य देश (सीआईएफ कीमत)	रु./ एमटी	8,15,266	1,29,720	8,64,738	8,17,990

**ख) मांग में संकुचन**

87. यह देखा गया है कि, मांग में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई। 2020-21 और 2021-22 में मांग में कोविड-19 और अनावश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण तीव्र गिरावट आई। उसके बाद मांग में जांच की अवधि में वृद्धि हुई। यह मांग क्षति के अवधि के दौरान जांच की अवधि में अपने उच्चतम स्तर पर है।

88. जबकि पूर्व की जांचों में बीओपीपी और सिंगल यूज प्लास्टिक द्वारा संबद्ध वस्तुओं के बाजार हिस्से को समाप्त करने के कारण इस उत्पाद की मांग में गिरावट हुई होगी, मांग एक बार फिर बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शा रही है। संबद्ध वस्तुओं का प्राथमिक रूप से उपयोग

फायर क्रेकर उद्योग में किया जाता है लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और पारी अनुकूल उत्पादों के बारे में जागरूकता में वृद्धि होने के साथ, अन्य क्षेत्रों में मांग धीरे धीरे बढ़ रही है।

**ग) उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन**

89. यह देखा गया है कि क्षति की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए उपभोग के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता था।
90. जबकि संबद्ध वस्तुओं के अन्य प्रयोगों जैसे खाद्य मर्दों में अनुप्रयोग, साबुन और डिटरजेंट की रैपिंग, आर्ट और क्राफ्ट के प्रयोजन आदि हाल के कुल वर्षों में उभरे हैं। यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु चाहे घरेलू हो अथवा आयात किया गया हो, का प्राथमिक उपयोग फायर क्रेकर उद्योग द्वारा किया जा रहा है जहां इसे किसी अन्य उत्पाद से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। फायर क्रेकर उद्योग को संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि इसे प्रभावी रूप से सामान चिपचिपा पदार्थ का उपयोग करते हुए सील किया जा सकता है और यह किसी प्लास्टिक रैप की हीट सीलिंग के विपरीत आग का खतरा उत्पन्न नहीं करता है। इस कारण से फायर क्रेकर उद्योग संबद्ध वस्तुओं पर उनके कार्यात्मक और सुरक्षा लाभों के कारण पूर्णरूप से निर्भर है और इसका कोई अन्य उपयुक्त विकल्प उपलब्ध नहीं है।

**घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां**

91. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियों के बारे में कोई तर्क नहीं दिया है अथवा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन को प्रभावित कर सकता था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच ने प्रतिस्पर्धा की स्थितियों अथवा किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियों में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया है।

**ड.) प्रौद्योगिकी का विकास**

92. यह देखा गया है कि प्रौद्योगिकी में कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

**च.) घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन**

93. पूर्व के वर्षों की तुलना में, आवेदक के निर्यातों में गिरावट आई है। हालांकि यह नोट किया जाता है कि आवेदक की निर्यात बिक्री इसकी कुल बिक्री का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं रहा है।

इस प्रकार, आवेदक के निर्यात प्रदर्शन ने आवेदक की घरेलू बिक्री के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं किया है।

#### छ.) अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

94. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है और इस कारण से अन्य उत्पादों का प्रदर्शन वर्तमान जांच में संगत नहीं है।

#### कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

95. ऊपर में उल्लेख किये गये कारकों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण जांच की अवधि में क्षति नहीं उठानी पड़ी है। इसके अलावा, निम्नलिखित कारक यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध आयातों के कारण हुई है :

- i) संबद्ध वस्तुओं के आयातों में क्षति की अवधि के दौरान विशेषकर जांच की अवधि में पूर्ण तथा सापेक्ष रूप में वृद्धि हुई है।
- ii) पहुंच कीमत न केवल बिक्री कीमत के स्तर से कम है बल्कि बिक्री की लागत से भी कम है। इसके फलस्वरूप, बाजार में कीमत पर दबाव पड़ा।
- iii) इन क्षमताओं का आयातों को देखते हुए बहुत कम उपयोग हुआ है। संबद्ध आयातों में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग की क्षमता के उपयोग में जांच की अवधि में \*\*\* प्रतिशत तक गिरावट आई है।
- iv) घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के समानुपात में अपना उत्पादन को बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। वास्तव में, जांच की अवधि में उत्पादन और बिक्री में मांग में वृद्धि के बावजूद गिरावट आई है।
- v) संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष में \*\*\* प्रतिशत से जांच की अवधि में \*\*\* प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाटित आयातों का भारत में कुल मांग में बहुत बड़ा हिस्सा है जबकि आवेदक के हिस्से में आधार वर्ष से जांच की अवधि तक \*\*\* प्रतिशत से \*\*\* प्रतिशत तक कमी आई है।
- vi) घरेलू उद्योग की माल सूची बहुत अधिक रही है क्योंकि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। आयात भारत में मांग पर आक्रामक रूप से कब्जा करते रहे हैं।
- vii) संबद्ध आयात, जो बाजार में लागत से कम कीमतों पर हो रहे हैं, बाजार में कीमतों को बढ़ा रहे हैं। आवेदक अपनी लागत से कम कीमतों पर इसकी बिक्री करने के

लिए बाध्य है। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को हानि हुई है और इसकी लाभप्रदता तथा लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल बहुत अधिक प्रभावित हुआ है।

96. उपर्युक्त विश्लेषण दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से भारत में विचाराधीन उत्पाद के बढ़ते हुए पाटित आयातों के कारण बहुत अधिक क्षति हो रही है। संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग द्वारा दिखाई गई वास्तविक क्षति के बीच एक मजबूत कारणात्मक संबंध है।

### क्षति-रहित कीमत और क्षति मार्जिन

97. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित इस नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एन आई पी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एन आई पी का निर्धारण जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्पादन की लागत से संबंधित को लेकर किया गया है। एन आई पी पर विचार क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के वास्ते की गई है। एन आई पी का निर्धारण करने के लिए, कच्चे माल और उपयोगिताओं का सर्वोत्तम उपयोग पर विचार क्षति की अवधि के दौरान किया गया है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा गैर अनावर्ती खर्च को उत्पादन की लागत से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति योग औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिफल (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की अनुमति इस नियमावली के अनुबंध III में यथानिर्धारित और अनुसरण की जा रही एन आई पी तय करने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में दी गई थी।

98. जैसा कि ऊपर में निर्धारित किया गया है पहुंच कीमत और एन आई पी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है :

कंपनी	एन आई पी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन (1यूएस डॉलर = 81.06)			
			भारतीय रु./ किग्रा.	भारतीय रु./ किग्रा.	यूएस डॉलर/ किग्रा.	पहुंच कीमत का %
इकाई	भारतीय रु./ किग्रा.	भारतीय रु./ किग्रा.	भारतीय रु./ किग्रा.	यूएस डॉलर/ किग्रा.	पहुंच कीमत का %	रेंज
शानडाँग ग्रुप	***	***	***	***	***	नकारात्मक
अन्य	***	***	***	***	***	30-40%

### ट.) भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

#### ट. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

99. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जनहित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- i) आवेदक सभी अन्य स्रोतों से माल को अवरूढ़ करने का प्रयास कर रहा है।
- ii) 70 प्रतिशत संबद्ध वस्तुओं का उपयोग फायर क्रेकर की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। शुल्कों को लगाये जाने से छोटे-छोटे फायर क्रेकर निर्माताओं के बने रहने को खतरा पहुंच सकता है। यदि डाउनस्ट्रीम उत्पाद की समग्र लागत पर कम प्रभाव भी पड़ता है तब यह विचार करना कि छोटे छोटे उद्योगों से प्रयोक्ता का बड़ा आधार बन जाता है, यह प्रभाव और अधिक हो जायेगा।
- iii) बायोडिग्रेडेबल ट्रांसपेरेंट फिल्मस पहले से ही सिंगल यूज प्लास्टिक की तुलना में बहुत अधिक महंगी है। यदि खरीद की लागत में और अधिक वृद्धि होती है तब यह सरकार के प्रयोग को बढ़ावा देने की पहल में रूकावट पैदा करेगी। विचाराधीन उत्पाद की फूड पैकेजिंग जैसे संभावना वाले क्षेत्रों में बहुत अधिक मांग है। हालांकि, आवेदक इसको पूरा करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनका उत्पाद पुराना हो गया है और इसको गुणवत्ता संबंधी अनेक मुद्दों से हानि होती है। खाद्य क्षेत्र के लिए उनके द्वारा उत्पादन किया गया विचाराधीन उत्पाद इस समय इसकी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, ग्राहक की समीक्षा यह दर्शाती है कि आवेदक इसकी निम्न गुणवत्ता के कारण इस क्षेत्र की मांग को पूरा नहीं कर सकता है।
- iv) आवेदक उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये निविदा दस्तावेजों की ध्यान से छानबीन किये जाने की आवश्यकता है। अनेक मामलों में, दावा किये गये अनुसार आयात किये गये स्रोतों के बजाय स्वयं घरेलू उद्योग से आपूर्ति पूरी की गई थी। प्राधिकारी के विश्लेषण की एक प्रति सभी हितबद्ध पक्षकारों को भी दी जानी चाहिए।

## ट. 2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

100. घरेलू उद्योग द्वारा जनहित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- i) यह उपभोक्ताओं के हित में है कि घरेलू उद्योग द्वारा शक्ति प्राप्त उचित कीमत पर उत्पादों का बाजार हो जो आयातों से प्रतिस्पर्धा कर सके।
- ii) भारत में घरेलू निर्माण के कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना निर्माण पावर हाउस बनने में इसकी भूमिका को सहायता देने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, घरेलू उत्पादन रोजगार को बढ़ावा देगा और इस देश की जी डी पी में वृद्धि करेगा।
- iii) पाटनरोधी शुल्क लगाना समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है और इसके साथ ही उत्पाद पर निर्भर एकमात्र आयातक बनने से भारत को रोकने के लिए

आवश्यक है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। यदि यह बर्बाद हो जाता है तब भारतीय बाजार संबद्ध वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए आयातों पर पूर्णरूप से निर्भर हो जायेगा, जिसके फलस्वरूप व्यापक परिदृश्य में उच्च कीमतों, रूकी हुई उपलब्धता अथवा व्यापार घाटे जैसे मुद्दे सामने आयेंगे।

- iv) आवेदक कंपनी एक बहु-उत्पाद कंपनी है। यदि आवेदक के व्यापार प्रभावों में से एक के कार्यनिष्पादन को बहुत गंभीर झटका लगता है तब यह निश्चित रूप से कंपनी के अन्य प्रभावों को भी बुरी तरह से प्रभावित करेगा। इस कारण से, इस उत्पाद की व्यवहार्यता आवेदक कंपनी की समग्र इको सिस्टम के लिए सर्वोच्च महत्व का है।
- v) संबद्ध वस्तुओं के अंतिम उपभोक्ता को कम कीमत पर आयातों का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। संबद्ध वस्तुओं का आयात व्यापारियों द्वारा किया जाता है जो अंततः उपभोक्ताओं को उसकी बिक्री करते हैं। व्यापारियों द्वारा ऐसी बिक्री उन कीमतों पर की जाती है जो घरेलू उद्योग की कीमतों में मामूली रूप से कटौती का रहा है। इस कारण से यह केवल व्यापारी है जो बहुत अधिक लाभ मार्जिन प्राप्त कर रहा है और इस उत्पाद के बाजार हिस्से को प्राप्त कर रहा है। इसे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचना से शुरू किया जाता है, जहां सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संबद्ध वस्तुओं की खरीद के लिए निविदाएं जारी करती हैं। यह निविदा उन व्यापारियों को दी गई है जिनका बिड मूल्य आयात कीमत से बहुत अधिक है।
- vi) उपभोक्ता के लिए सी टी एफ के कारण लागत बहुत कम है। संबद्ध वस्तुओं के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता वे उद्योग हैं जो फायर क्रेकर, मिठाइयां, सिल्वर आदि की पैकेजिंग के लिए सी टी एफ का उपयोग कर रहे हैं। अंतिम उत्पादों की बिक्री कीमत पर सी टी एफ के कारण लागत 0.03 प्रतिशत तक कम है। इसके अलावा, फायर क्रेकर्स जो अपने उत्पादों को पैक और रैप करने के लिए सी टी एफ का उपयोग करते हैं, से प्राप्त सूचना यह दर्शाती है कि औसत आधार पर सी टी एफ फायर क्रेकर्स की लागत का 2-3 प्रतिशत है।
- vii) चीन जन. गण. से आयात की गई संबद्ध वस्तु पर पूर्व में पाटनरोधी शुल्क लगता था। कोई भी सार्वजनिक सूचना यह नहीं दर्शाती है कि पूर्व में लगाया गया शुल्क का अंतिम उपभोक्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
- viii) सी टी एफ लकड़ी के गूदे से बनाया जाता है। इस कारण से यह विषरहित, बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल है। यह प्लास्टिक फिल्मों का एक सतत विकल्प है और इस प्रकार यह देश के पर्यावरण, वन्य जीव और लोगों के स्वास्थ्य

पर प्लास्टिक अवशिष्ट के हानिकारक प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता और विश्वभर की सरकारों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के साथ, संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि ही होने जा रही है।

### ट. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने का उद्देश्य भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति जो देश के सामान्य हित में है, को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से पाटन की अनुचित व्यापार कार्यपद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है। पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने का लक्ष्य किसी भी प्रकार से संबद्ध देश के आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाना है। व्यापार उपचारात्मक जांचों का उद्देश्य व्यापार विरूपण आयातों के विरुद्ध उपयुक्त शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसरों को फिर से बहाल करना है। साथ ही, प्राधिकारी इस बात से अवगत हैं कि इस प्रकार के शुल्कों का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के केवल घरेलू उत्पादकों तक सीमित नहीं है बल्कि यह विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा, शुल्कों को लगाये जाने से घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा की समस्याएं आ सकती हैं लेकिन इसके साथ ही, यह देश में नये उत्पादकों के सामने आने को बढ़ावा दे सकता है।
102. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/ उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी संभावित प्रभावों सहित वर्तमान जांच के बारे में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रश्नावली भी निर्धारित की। सूचना अन्य बातों के साथ-साथ अलग अलग देशों से अनेक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किये गये उत्पाद का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करने की क्षमता, स्रोतों को बदलने के लिए घरेलू उद्योग क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, वे कारक जो संभवतः पाटनरोधी शुल्क के लगाये जाने के कारण उत्पन्न नई स्थिति के समायोजन में गति दे सकती है अथवा उसमें विलंब कर सकता है, के संबंध में मानी गई थी।
103. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे जांच के सभी प्रयोक्ता उद्योगों को भेजा गया था।

104. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने डाउनस्ट्रीम उद्योग और अंतिम ग्राहकों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव के संबंध में कोई मात्रा बताने योग्य और/ अथवा सत्यापन किये जाने योग्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रभाव के संबंध में विश्लेषण प्रतिवादियों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर किया जाता है।
105. यह नोट किया जाता है कि देश में मांग - आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है लेकिन देश में संबद्ध वस्तुओं की समग्र मांग को पूरा करने के लिए इसके पास पर्याप्त से अधिक क्षमता है। आवेदक के पास जांच की अवधि में \*\*\* एमटी की मांग की तुलना में \*\*\* एमटी की क्षमता है।
106. संबद्ध वस्तुओं के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता पर प्रभाव उन उद्योगों पर पड़ता है जो मिठाइयों, सिल्वर, फॉयर क्रेकर आदि की पैकेजिंग के लिए सी टी एफ का उपयोग करते हैं, और उसे नीचे तालिका में दिया गया है:

मिठाईया - 1 किग्रा. का काजू बर्फी	
सेप्रेटर के रूप में सेलोफेन का उपयोग	
मात्रा	मूल्य (रु.)
1 किग्रा. का डिब्बा	800
ए4 सीट का एक पीस	1
एक ए4 सीट के उपयोगों की लागत का %	0.13%

चांदी के आभूषण - 100 ग्राम	
रेपर के रूप में सेलोफेन का उपयोग	
मात्रा	मूल्य (रु.)
100 ग्रा. 60000 रु. प्रति किग्रा. की दर से	60000
ए4 सीट का एक पीस	1
एक ए4 सीट के उपयोगों की लागत का %	0.02%

107. जैसा कि ऊपर दी गई तालिकाओं में दर्शाया गया है, मिठाई का एक डिब्बे की पैकेजिंग करने में उपयोग की गई सीटों की संख्या 1 तक सीमित है और इसकी लागत का समग्र प्रतिशत 0.13 प्रतिशत मात्र है और चांदी के आभूषण की पैकेजिंग के मामले, यह 0.02 प्रतिशत है। इसके अलावा, सी टी एफ का बड़ा उपभोक्ता फायर क्रेकर उद्योग है और सी टी एफ के कारण लागत फायर क्रेकर्स की लागत का केवल 2-3 प्रतिशत है जैसा कि डाउनस्ट्रीम उद्योगों में से एक उद्योग द्वारा दावा किया गया है। इस उद्योग में उपयोग

किये गये उत्पाद का प्रतिशत और इसकी लागत का प्रतिशत बहुत कम है और डाउनस्ट्रीम उद्योग पर विचारधीन उत्पाद की कीमत पर परिवर्तन का प्रभाव मामूली है।

## ठ.) प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

### अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

108. सार्वजनिक हित के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

- i. इच्छुक पार्टियों के पास विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे पर कोई टिप्पणी नहीं है।
- ii. घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक की स्थिति के संबंध में इच्छुक पार्टियों के पास कोई टिप्पणी नहीं है।
- iii. व्यक्तिगत एंटी-डंपिंग शुल्क दर के निर्धारण के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि निर्यातकों ने डेस्क सत्यापन और सत्यापन के बाद की प्रक्रियाओं सहित जांच के दौरान सभी आवश्यक डेटा प्रदान किया है और पूरा सहयोग किया है।
- iv. मांग के आकलन और क्षति की अनुपस्थिति के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग को पीयूसी के आयात से क्षति का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत क्षति डेटा में विसंगतियां हैं और नुकसान पुरानी विनिर्माण प्रक्रियाओं के कारण है, न कि आयात के कारण।
- v. सार्वजनिक हित और प्रभाव विश्लेषण में पीयूसी और एकल उपयोग प्लास्टिक के बीच मूल्य तुलना का अभाव है, क्योंकि ये दोनों उत्पाद समान बाजारों और समान उद्देश्यों के लिए हैं। विश्लेषण में उत्पादों की कम कीमतों पर विचार किया जाना चाहिए और इसमें पीयूसी और एकल-उपयोग प्लास्टिक के बीच तुलना शामिल होनी चाहिए।
- vi. गैर-एट्रिब्यूशन विश्लेषण और भारतीय उद्योग के हित के संबंध में, इच्छुक पार्टियों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से पीयूसी का उपयोग करने वाले छोटे पैमाने के उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीयूसी की किफायती उपलब्धता महत्वपूर्ण है।

## घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

109. सार्वजनिक हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

- i. संबद्ध देश से आयात पूर्ण रूप से बढ़ा है और सापेक्ष रूप से महत्वपूर्ण है। संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है। हालाँकि, आयात में वृद्धि मांग में वृद्धि से कहीं अधिक है।
  - ii. आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की लागत से काफी कम है। जांच अवधि में जमीन की कीमत और लागत के बीच का अंतर सबसे अधिक था। इसलिए, संबद्ध आयात न केवल घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं बल्कि इसकी लागत में भी कटौती कर रहे हैं।
  - iii. घरेलू उद्योग को क्षति डंप किए गए आयात के अलावा अन्य कारकों के कारण नहीं है। गैर-विषय देश से आयात भारत में कुल आयात का मुश्किल से 3% है। पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। उपभोग के पैटर्न या प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वास्तव में, आवेदक अद्यतन रहने के लिए निरंतर प्रयास करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उसकी सुविधाएं वैश्विक मानकों के अनुरूप हों।
  - iv. संबद्ध वस्तुएं अतीत में एंटी-डंपिंग शुल्क के अधीन थीं। हालाँकि, यह दिखाने के लिए कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है कि ऐसे कर्तव्यों का अंतिम उपभोक्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।
  - v. संबद्ध वस्तुएं डाउनस्ट्रीम उद्योग की कुल लागत का एक बहुत छोटा हिस्सा बनाती हैं। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रभाव के विश्लेषण से पता चलता है कि शुल्कों का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कम से कम 0.03% का प्रभाव पड़ेगा।
  - vi. घरेलू उद्योग के पास देश में वर्तमान मांग और भविष्य में मांग में अनुमानित वृद्धि को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।
- सातवीं. हालाँकि शुल्क संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित नहीं करते हैं, चीन पीआर में आवेदक और उत्पादकों के अलावा, जापान, यूके और यूएसए जैसे देशों में संबद्ध वस्तु के अन्य उत्पादक हैं, उपभोक्ता इन देशों से भी संबद्ध वस्तु प्राप्त कर सकते हैं।
- viii. आपूर्ति का घरेलू स्रोत होना भारत को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है। उपभोक्ताओं के लिए घरेलू आपूर्ति का एक स्थिर, स्वस्थ और भरोसेमंद स्रोत होना

महत्वपूर्ण है। भारतीय उत्पादक विदेशी उत्पादकों के विपरीत घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता देंगे जो लाभ अधिकतम करने के लिए अपना ध्यान अन्य देशों पर केंद्रित कर सकते हैं।

IX. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि भारत में एकमात्र उत्पादक का एकाधिकार प्रभाव होगा, आवेदक दशकों से संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक रहा है और संबद्ध आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क भी अतीत में लागू था, हालांकि, वहाँ रहे हैं घरेलू उद्योग द्वारा कर्तव्यों के दुरुपयोग या एकाधिकारवादी रवैये का कोई आरोप नहीं।

X. प्राधिकरण को 5 वर्ष की अवधि के लिए अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए, जैसा कि प्राधिकरण की सामान्य प्रथा है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच:**

110. प्राधिकरण ने इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रकटीकरण के बाद की गई प्रस्तुतियों की जांच की है और नोट किया है कि अधिकांश टिप्पणियाँ दोहराव हैं जिनकी पहले से ही उपयुक्त जांच की जा चुकी है और अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफ में पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। संक्षिप्तता के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रकटीकरण के बाद की जांच में इसे दोहराया नहीं जा रहा है। इच्छुक पार्टियों द्वारा पोस्ट प्रकटीकरण टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक माने गए मुद्दों की जांच नीचे की गई है।

111. प्राधिकरण ने मेसर्स शाओक्सिंग केडे न्यू द्वारा प्रस्तुत डेटा और सहायक चालान के साथ इस डेटा के क्रॉस-सत्यापन के लिए निर्यातक को प्रविष्टि बिल (संख्या और तारीख), मात्रा, मूल्य इत्यादि सहित विस्तृत आयात डेटा प्रदान किया। मटेरियल कंपनी अपने निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया (ईक्यूआर) में। निर्यातक को इन डेटा यानी निर्यातक के डेटा और डीजी सिस्टम्स डेटा के बीच विसंगतियों को सुलझाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे। हालाँकि, जांच में महत्वपूर्ण विसंगतियाँ सामने आईं, जिनमें कुछ निर्यातक द्वारा प्रस्तुत चालान डीजी सिस्टम में मौजूद पाए गए, लेकिन समग्र सकल बेमेल के अलावा पर्याप्त मूल्य बेमेल थे और कुछ निर्यातक द्वारा प्रस्तुत चालान डीजी सिस्टम में नहीं पाए गए। इन असमानताओं को पर्याप्त रूप से उचित ठहराने में निर्यातक की असमर्थता को देखते हुए, प्राधिकरण को व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन निर्धारित करने के लिए प्रदान की गई जानकारी अविश्वसनीय लगती है।

112. जहां तक एकल-उपयोग प्लास्टिक और संबद्ध वस्तुओं की तुलना का संबंध है, न तो इच्छुक पार्टियों और न ही घरेलू उद्योग ने तुलना के लिए कोई डेटा उपलब्ध कराया है।

113. अन्य इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से पीयूसी का उपयोग करने वाले छोटे पैमाने के उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस तर्क को उपयोगकर्ता-प्रभाव विश्लेषण में पहले ही संबोधित किया जा चुका है।

### निष्कर्ष

114. दिये गये तर्कों, किये गये अनुरोधों, उपलब्ध कराई गई सूचना और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों जैसा कि ऊपर में रिकार्ड किया गया है, पर विचार करते हुए तथा पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी का निष्कर्ष निम्नलिखित है :

- i) विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये "सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म" है।
- ii) संबद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण सीमा शुल्क उपशीर्ष 39207111 और 48239090 के अंतर्गत किया गया है।
- iii) यह आवेदन मैसर्स केसोराम रेयोन, सिग्नेट इंडस्ट्रीज लिमि. की एक इकाई द्वारा दायर किया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और यह इस नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और यह नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा करता है।
- iv) चीन जन. गण. से निर्यात किया गया संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तु पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 2 (घ) के संदर्भ में एक दूसरे के 'समान वस्तु' हैं।
- v) विचाराधीन उत्पाद का निर्यात भारत को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है। पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है बल्कि बहुत अधिक भी है।

- vi) संबद्ध देश का आयात क्षति की समग्र अवधि और जांच की लगभग 98 प्रतिशत अवधि में भारत में कुल निर्यात का लगभग पूरा हिस्सा है। इसके अलावा, संबद्ध आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि विशेषकर जांच की अवधि में वृद्धि हुई।
- vii) संबद्ध आयातों ने घरेलू मांग को पूरा करने की आवेदक के पास पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद भारतीय बाजार का \*\*\* प्रतिशत पर कब्जा कर लिया है। चीन के आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक तेजी से हुआ था क्योंकि खपत में समग्र वृद्धि आयातों जिसमें 230 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और भारतीय उत्पादकों की बिक्री जिसमें 41 प्रतिशत तक गिरावट आई के विरुद्ध आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मात्र 10 प्रतिशत थी।
- viii) औसत आयात कीमतें 2019-20 से जांच की अवधि में बढ़ गई थी। इसके बावजूद, क्षति की समग्र अवधि पर विचार किया जाये तब संबंधित संबद्ध देश से औसत आयात कीमतें भारतीय उत्पादक की कीमतों से निरंतर रूप से कमतर थीं। इस प्रकार आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।
- ix) चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर बहुत अधिक न्यूनकारी प्रभाव पड़ता है। बाजार नहीं खाने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के पास लागत से कम पर बिक्री करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।
- x) उत्पादन, क्षमता का उपयोग और घरेलू बिक्री की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- xi) संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
- xii) आवेदक का भारत में एकमात्र उत्पादक होने और मौजूदा मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग के पास मुश्किल से भारतीय बाजार में \*\*\* प्रतिशत हिस्सा है।
- xiii) घरेलू उद्योग की अवधि के दौरान घाटे में रहा है।
- xiv) आवेदक की औसत मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

- xv) घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में क्षति की अवधि के दौरान कमी आई है। भुगतान किये गये वेतन ने वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा, उत्पादकता में भी उत्पादन में उतार चढ़ाव के अनुरूप गिरावट आई है।
- xvi) पाटित आयातों ने मात्रा और कीमत दोनों मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
- xvii) प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किसी अन्य कारकों जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते थे, के संबंध में किये गये अनुरोधों की जांच की है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुआ है।
- xviii) प्राधिकारी ने इस आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस जांच के सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। किसी भी प्रयोक्ता द्वारा कोई आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग ने शुल्क के संभावित प्रभाव की मात्रा भी उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा का उल्लेख किया है।

### सिफारिशें

115. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों और उनमें उठाये गये मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि :

116. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात संबद्ध देशों से भारत को उनके सामान्य मूल्यों से कम पर किया गया है।

117. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

118. वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के द्वारा पहुंचाई गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के संदर्भ में पाटन, क्षति और उसके कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और उसे पूरा करने तथा ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू

उद्योग को हुई वास्तविक क्षति और सकारात्मक पाटन मार्जिन स्थापित करने के बाद, प्राधिकारी का यह दृष्टिकोण है कि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटन और क्षति के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक है। इस कारण से प्राधिकारी यहां नीचे वर्णित रूप में और तरीके से संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। इसलिए, प्राधिकरण विषयगत देशों में उत्पादित या वहां से निर्यातित विषय वस्तु के आयात पर यहां वर्णित प्रारूप और तरीके से लगाए जाने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

119. प्राधिकारी द्वारा अनुसरण किये जा रहे कमतर शुल्क नियम पर विचार करते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कमतर के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त की जा सके।

120. तदनुसार, संबद्ध वस्तुओं पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क, जिसका विवरण का उल्लेख नीचे तालिका के कॉलम (3) में दिया गया है, कॉलम (4) में सदृश्य प्रविष्टि में तथा उल्लिखित देश के मूल के, कॉलम (5) में सदृश्य प्रविष्टि में यथा उल्लिखित देश से निर्यात किये गये, कॉलम (6) में सदृश्य प्रविष्टि में यथा उल्लिखित उत्पादकों द्वारा उत्पादन किये गये, कॉलम (7) में सदृश्य प्रविष्टि में यथा उल्लिखित निर्यातकों द्वारा निर्यात किये गये और भारत में आयात किये गये, जिसे नीचे तालिका में दिया गया है, पाटनरोधी शुल्क इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी किये जाने वाली अधिसूचना की तिथि से लगाये जाने की सिफारिश की जाती है।

क्र. सं.	उपशीर्ष अथवा प्रशुल्क मद	वस्तुओं का विवरण	उद्गम देश	निर्यात देश	उत्पादक	सी आई एफ के % के रूप में शुल्क
1	2	3	4	5	6	7
1	39207111 और 48239090	सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म”	चीन जन. गण.	कोई देश शामिल चीन पीआर	शानडॉंग हेग्लियन न्यू मेटेरियल	शून्य
2	39207111 और 48239090	सेलोफेन ट्रांसपेरेंट	चीन जन. गण.	कोई देश शामिल चीन पीआर	अन्य	1.34

		फिल्म"				
--	--	--------	--	--	--	--

### आगे की प्रक्रिया

121. इस सिफारिश से उत्पन्न होने वाले केंद्र सरकार के आदेशों के खिलाफ अपील अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

312  
(अनन्त स्वरूप)

निर्दिष्ट प्राधिकारी